

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 1038 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Hardeep Sharma _____ Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Others _____ Respondents

INDEX

NDOH: 27.01.2025

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Report of Joint Committee on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change	1-5
2.	Annexure I Copy of the letter dated 02.12.2024	6-7
3.	Annexure II Copy of the letter dated 10.01.2025	8-41
4.	Annexure III Copy of the letter dated 18.05.2024	42-112
5.	Annexure IV Copy of the office No. 03/Kashi0/2024-2025	113
6.	Annexure V Copy of the order dated 14.11.2024	114-116

FILED BY:

Vivek Kumar Tandon

(VIVEK KUMAR TANDON)
COUNSEL FOR PETITIONER
404, LAWYERS CHAMBER,
DELHI HIGH COURT,
NEW DELHI-110003.

NEW DELHI
DATED: 27.01.2025

Report of Joint Committee in compliance of the Order dated 07.11.2024 & 11.12.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (Principal Bench), New Delhi in Original Application No. 1038/2024, titled Hardeep Sharma versus State of Uttarakhand & Ors.

A. THE BRIEF BACKGROUND OF THE MATTER IS AS FOLLOWS:

The complain of the complainant is that in Village Chandpur, Pratapur of District Udham Singh Nagar a colony is being developed for plotting purposes wherein 1100 green and matured trees were standing and permission for cutting of 150 trees was granted but more than 600 trees have already been cut. Forest Department however has imposed penalty for only 88 trees and closed the matter. Complainant has also said that District Magistrate constituted a team for inspection led by incharge Horticulture Mobile Unit who submitted report that trees more than permission have been cut still no effective action has been taken. In the report submitted by inspection team on 24.05.2023 it is clear that 579 trees have been cut.

B. DIRECTIONS OF THE HON'BLE NGT

The Hon'ble NGT vide order dated 07.11.2024 in the OA No. 1038/2024 in the matter of Hardeep Sharma vs. State of Uttarakhand & Ors. had constituted a Joint Committee comprising District Magistrate, Udham Singh Nagar, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun and Uttarakhand Pollution Control Board and directed to visit the site, collect relevant information and submit a Factual Report with Tribunal within one month. The Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun has been made the Nodal Agency for co-ordination and compliance of the order.

Later, on the request of Regional Office, MoEF&CC, Dehradun, the Tribunal vide order dated 11.12.2024 has granted further time to the Joint Committee to file the report with the directions to obtain copies of all relevant documents/records and also reports of enquiries conducted by the concerned Departments/Authorities and incorporate reference thereof in its report and also enclose copies thereof with the same.



C. COLLECTION OF REPORTS OF ENQUIRIES CONDUCTED BY THE CONCERNED DEPARTMENT/AUTHORITIES

1. REPORT BY DFO, RAMNAGAR

To ascertain the truthfulness of the complaint and as directed by the NGT, the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun vide letter dated 02.12.2024 had requested DM, Udham Singh Nagar and DFO, Tarai West Forest Division, Ramnagar to provide their respective reports in the matter (**Annexure-I**).

In response of the above, the DFO, Ramnagar vide his letter dated 10.01.2025 had submitted a report to the RO, MoEF&CC, Dehradun.

The report was perused in which it has mentioned that the Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar vide its letter dated 19.01.2023 and subsequent letter dated 06.02.2023 had granted permission for felling of total 150 trees to Shri Manish Gupta, Shri Naresh Gupta resident of Chandpur, Tehsil Kashipur. However, additional 88 trees were felled without permission for which the Forest Department has recovered an amount of 4,40,000/- as a compensation under the Protection of Trees Act, 1976(**Annexure-II**).

2. REPORT OF JOINT COMMITTEE DATED 18.05.2024 IN O.A. NO. 147/2024

It has informed that in OA No. 147/2024 a Joint Committee was constituted by the NGT comprising of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and DM, Udham Singh Nagar with the directions to submit it's factual and action taken report.

The report of above committee reveals that a total number of 176 additional trees were found missing for which the Joint Committee had recommended that the concerned department may take action in the matter as per law (**Annexure-III**). In view of that a forest offence No. 03/kashi0/2024-2025 has been registered by the DFO, Tarai West Forest Division, Ramnagar against Shri Sudhir Gupta and Nakul Kumar Gupta (**Annexure-IV**).

It has further informed by the Regional Officer, UKPCB, Kashipur that as per the directions of Hon'ble NGT's order dated 15.02.2024 & 25.09.2025

passed in OA. No. 147/2024, the Uttarakhand Pollution Control Board vide its letter-cum-office order dated 14.11.2024, fine of Rs 67,26,375/-has been imposed upon the violators for felling of 176 trees as an environmental compensation (Annexure-V).

D. SITE INSPECTION

That in the present matter, the Hon'ble NGT had constituted a Joint Committee comprising District Magistrate, Udham Singh Nagar, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun and Uttarakhand Pollution Control Board. A letter and e-mail dated 16.01.2025 was issued by Regional Office, MoEF&CC, Dehradun intimating site visit to the Member of the Joint Committee (Annexure-VI). However, Shri Pankaj Candola, Tehsildar, Kashipur was present during the site visit on behalf of DM, Udham Singh Nagar. The field inspection was carried out on 17.01.2025 at 01:00 PM onwards where following officials were present:-

Officials

1. Smt. Neelima Shah, Assistant Inspector General of Forests (AIGF), Regional Office, MoEF&CC, Dehradun
2. Shri Prakash Chandra Arya, DFO, Tarai West Forest Division, Ramnagar.
3. Shri Naresh Goswami, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Kashipur.
4. Shri Shankar Lal Kohli, Senior Horticulture Inspector.
5. Shri Pankaj Chandola, Tehsildar, Kashipur.
6. Shri Arun Kumar, Patwari.
7. Shri Deven Singh Rajwar, Renge Officer, Kashipur Range.
8. Shri Om Prakash, Forester.

At the outset, the matter was discussed in detail with the above-mentioned officials during the site visit. It was informed that the Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar vide its letter dated 19.01.2023 and subsequent letter dated 06.02.2023 had granted permission for felling of total 150 trees to Shri Manish Gupta, Shri Naresh Gupta resident of Chandpur, Tehsil Kashipur.

However, additional 88 trees were felled without permission for which the Forest Department has recovered an amount of 4,40,000/- as a compensation under the Protection of Trees Act, 1976.

Later, on the directions of NGT's order passed in OA No. 147/2024, a Joint Committee comprising of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and DM, Udham Singh Nagar had visited the site in question on 16.04.2024, 08.05.2024 and 10.05.2024. The Joint Committee's report reveals that a total number of 176 additional trees were found missing for which the Joint Committee had recommended that the concerned department may take action in the matter as per law. In view of that a case No. 03/kashi0/2024-2025 has been registered by the DFO, Tarai West Forest Division, Ramnagar against Shri Sudhir Gupta and Nakul Kumar Gupta resident of village Chandpur, Tehsil Kashipur, Udham Singh Nagar.

During the site visit, it was informed by the Regional Officer, UKPCB, Kashipur that as per the directions of Hon'ble NGT's order dated 15.02.2024 & 25.09.2025 passed in OA. No. 147/2024, the Uttarakhand Pollution Control Board vide its letter-cum-office order dated 14.11.2024, fine of Rs 67,26,375/- has been imposed upon the violators for felling of 176 trees as an environmental compensation.

Thus, a total (88+176) 264 number of trees were felled without permission in site in question. Out of them compensation of an amount of Rs. 4,44,000/- was recovered by the Forest Department for felling of 88 trees under the Protection of Trees Act, 1976. For felling of reaming 176 trees, a case No. 3/kashi0/2024-25 has been registered by the DFO, Tarai West Ramnagar under the Protection of Trees Act, 1976 against Shri Sudhir Gupta and Shri Nakul Kumar Gupta resident of village Chandpur, Tehsil Kashipur, Udham Singh Nagar. In addition, fine of Rs 67,26,375/-has also been imposed by the Uttarakhand Pollution Control Board upon the violators as an environmental compensation.

No fresh complaint has been reported by the DFO, Tarai West Forest Division, Ramnagar and concerned Range Officer about the said area.

E. CONCLUSION AND RECOMMENDATION OF THE JOINT COMMITTEE:

After perusal of the reports and as per the site visit, the member of Joint Committee is of the view that a total number of 264 (88+176) trees were felled without permission in the nap (niji) land. The Forest Department has already recovered an amount of Rs. 4,44,000/- from the violators for felling of 88 trees as a compensation under the Protection of Trees Act, 1976. In addition, a case No. 3/kashi0/2024-25 has also been registered by the DFO, Tarai West Ramnagar under the Protection of Trees Act, 1976 for felling of 176 trees and Uttarakhand Pollution Control Board has also imposed fine of Rs 67,26,375/- upon the violators as an environmental compensation.

Therefore, the member of Joint Committee are of the opinion that fine may be recovered from the violators under the Protection of Trees Act, 1976 for illegally felling of 176 trees and fine imposed by the UKPCB of Rs 67,26,375/- may also be recovered as an environmental compensation.

(District Magistrate)
Udham Singh Nagar



(Naresh Goswami)

Regional Officer
Uttarakhand Pollution Control Board,
Regional Office, Kashipur



(Neelima Shah)

Assistant Inspector General of Forests (C),
Regional Office, MoEF&CC, Dehradun



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/
Regional Office, Dehradun



25, सुभाष रोड, देहरादून-248001/25, SUBHASH ROAD, DEHRADUN-
248001, दूरभाष / PHONE - 0135-2650809, ईमेल/E-mail-
moef.ddn@gov.in

पत्र सं 0- NGT/17/2024/ 992

Dated: 02 /11/2024
12

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधम सिंह नगर, जिलाधिकारी परिसर,
रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 263153 (E-mail: dm-usn-ua@nic.in)

विषय:- माननीय एन 0 जी0 टी0, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 1038/2024, हरदीप शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपको यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त O.A. No. 1038/2024 में माननीय एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07.11.2024 को एक आदेश पारित करते हुये प्रकरण में एक ज्वार्ट कमेटी गठित की है, जिसका प्रवर्तनीय भाग इस प्रकार है;

"Accordingly we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Udham Singh Nagar; Integrated Regional Office, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Dehradun; and Uttarakhand Pollution Control Board."

प्रकरण जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के ग्राम चौदपुर प्रतापपुर में प्लांटिंग करने के उद्देश्य से कालोनी विकसित करने के दौरान अनुमति से अधिक वृक्षों के पातन करने विषयक है। चूंकि आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा ज्वार्ट कमेटी को प्रकरण में स्थल-निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाएँ एकत्रित कर एक माह के भीतर तथ्यात्मक आख्या एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली को दाखिल करनी है।

इस संबंध में श्री हरदीप शर्मा का लेटर पिटिशन एवं एन 0 जी0 टी0 से प्राप्त आदेश दिनांक 07.11.2024 की प्रति इस अनुरोध के साथ आपको अग्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में पूर्व में गठित टीमों की जांच आख्या इस कार्यालय को अविलंब प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

Signed by Neelima Shah
Date: 02-12-2024 13:52:07

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा0 व 0 से0)
सहायक वन महानिरीक्षक (के0)

o/c



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/
Regional Office, Dehradun



25, सुभाष रोड, देहरादून-248001/25, SUBHASH ROAD, DEHRADUN-
248001, दूरभाष / PHONE - 0135-2650809, ईमेल/E-mail-
moef.ddn@gov.in

पत्र सं 0- NGT/17/2024/ 993

Dated: 02/11/2024

सेवा में,

12

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,
जनपद- नैनीताल, उत्तराखंड।

विषय:- माननीय एन 0 जी0 टी0, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 1038/2024, हरदीप शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपको यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त O.A. No. 1038/2024 में माननीय एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07.11.2024 को एक आदेश पारित करते हुये प्रकरण में एक ज्वाइंट कमेटी गठित की है, जिसका प्रवर्तनीय भाग इस प्रकार है;

“Accordingly we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Udham Singh Nagar; Integrated Regional Office, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Dehradun; and Uttarakhand Pollution Control Board.”

प्रकरण जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के ग्राम चाँदपुर प्रतापपुर में प्लांटिंग करने के उद्देश्य से कालोनी विकसित करने के दौरान अनुमति से अधिक वृक्षों के पातन करने विषयक है। चूँकि आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है तथा ज्वाइंट कमेटी को प्रकरण में स्थल-निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाएँ एकत्रित कर एक माह के भीतर तथ्यात्मक आख्या एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली को दाखिल करनी है। (प्रति संलग्न)।

इस संबंध में श्री हरदीप शर्मा का लेटर पिटिशन एवं एन 0 जी0 टी0 से प्राप्त आदेश दिनांक 07.11.2024 की प्रति इस अनुरोध के साथ आपको अग्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में वन विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक आख्या इस कार्यालय को अविलंब प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 02-12-2024 13:51:02

(नीलिमा शाह, भा0 व 0 से0)
सहायक वन महानिरीक्षक (के0)





उत्तराखण्ड नगर

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी,

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraiwest@gmail.com

ANNEXURE-II

8



पत्रांक - 2850 /

29-3

दिनांक, रामनगर

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक, (के0)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून। 25 सुभाष रोड देहरादून 248001

विषय:-

माननीय एन0जी0टी0, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 1038/2024, हरदीप शर्मा बनाम
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक NGT/17/2024/993 दिनांक 02.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र सं0 2618/29-3 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर को उक्त प्रकरण की जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर ने अपने पत्र सं0 199/29-3 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मनीष गुप्ता, श्री नरेश गुप्ता निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर को मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्रांक 2067 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा आम वृक्ष 39, पत्र सं0 2068 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा आम वृक्ष 44, पत्र सं0 269 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा लीची 22 वृक्ष एवं पत्र सं0 2179 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा आम 45 वृक्ष (कुल आम वृक्ष-128 एवं लीची वृक्ष-22 कुल 150 वृक्षों) के पातन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके सापेक्ष स्वीकृत 150 वृक्षों के अलावा 88 वृक्ष अधिक बिना अनुमति के पातन किये गये जिस पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करते हुये प्रतिकर बतौर रू0 4,40,000.00 वसूल कर राजकोष में जमा किया गया। (संलग्न-1)

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में हरदीप शर्मा द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन संख्या 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य अन्य दायर किया गया। उक्त वाद की सुनवाई मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 15.02.2024 को हुयी, (संलग्न-2) जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:-

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
7. List the matter on 25.04.2024 for further consideration."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु इस कार्यालय की पत्र सं0 4170/23-2 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर को उक्त प्रकरण में Factual and Action Taken Report उपलब्ध कराने हेतु नामित किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर ने अपने पत्र सं0 670/23-2 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में Factual and Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी थी, जिसमें सुनवाई की तिथि 25.04.2024 निर्धारित थी। क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) ने सदस्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को पत्र सं0 यू0के0पी0सी0बी0/आर0ओ0के0 रिट 90/24/दिनांक 22.04.2024 (संलग्न-3) के द्वारा अवगत कराया गया है कि " उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन उधमसिंहनगर, वन विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर में संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 का मतदान हुआ था। निर्वाचन दायित्व में लगे होने के कारण अन्य विभागों, शिकायतकर्ताओं तथा अन्य से समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। अतः सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 में व्यस्तता के कारण प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।" क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गयी है। उक्त कारणों से मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 25.04.2024 को जवाब दाखिल नहीं हो सका।

उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 25.04.2024 को मा0 एन0जी0टी0 में हुयी। (संलग्न-4) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 25.04.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है:-

3. Report of the Joint Committee has not been filed so far.
4. As per office report respondents no. 11 to 14 have been duly served but replies/responses have not been filed by respondents no. 11 to 14.

8/16/24

L.A.

[Signature]

5. Report of the Joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. As per office report notices have been sent to respondents no. 1 to 10 by speed post but the same are not stated to have been delivered to them.
7. Notices be issued again to respondents no. 1 to 10 requiring them to file their replies/responses within two months as directed above.
8. Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.
9. List the matter on 24.05.2024 for further consideration.
10. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by email for requisite compliance. ”

उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। Factual and Action Taken Report क्षेत्रीय अधिकारी(प्रदूषण) ने अपने पत्र सं० यू० के० पी० सी० बी०/आर०ओ०के०/2024/रिट 90/84 दिनांक 18.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी।(संलग्न-5)

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया है। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुये वन अपराध सं० 03/काशी०/2024-2025 पंजीकृत किया गया है तथा जाँच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। (संलग्न-6)

उक्त वन अपराध में अभियुक्त 01 सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार 02- श्री नुकूल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता निवासीगण ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिहनगर को उक्त पातित 176 वृक्षों का मुआवजा जमा करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर द्वारा पत्र प्रेषित किये गये।(संलग्न-7) श्री नकुल कुमार गुप्ता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि श्री सिद्धान्त गोयल ने अपने पत्र दिनांक 26.09.2024 से अवगत कराया कि जिन 176 वृक्षों का मुआवजा जमा करने हेतु कहा गया है उक्त 176 पेड़ों के सापेक्ष 165 वृक्ष पुनः स्थापित किये गये हैं जिनमें से 48 वृक्ष सूख गये 11 वृक्ष मौके पर कम पुनः स्थापित किये गये इस प्रकार 176 वृक्षों में से 117 वृक्ष जीवित स्वस्थ हालत में खड़े हैं उक्त के अतिरिक्त 59 वृक्ष जो कि सूख व कम पुनरोपित किये गये हैं उनका जो भी मुआवजा जमा करना होगा उसे जमा करने को तैयार है।(संलग्न-8) पूर्व में नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व० महेश कुमार गुप्ता द्वारा इस कार्यालय को पेड़ों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने हेतु दिनांक रहित पत्र प्रेषित किया गया था। (संलग्न-9) उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय की पत्र सं० 5519/29-2 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिहनगर को पत्र सम्बोधित कर अवगत कराया गया कि नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व० महेश कुमार गुप्ता नि० ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिहनगर द्वारा अपनी नाप भूमि में विद्यमान वृक्षों की शिफ्टिंग करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वृक्षों की शिफ्टिंग का कार्य बेहद तकनीकी व विशेषज्ञों के निर्देशन में किया जाने वाला कार्य है। वृक्षों की शिफ्टिंग का कार्य करने से पूर्व शिफ्टिंग का कार्य करने वाली टीम का आंकलन किया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त वृक्ष फलदार श्रेणी के हैं इसलिये कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री स्व० महेश कुमार गुप्ता नि० ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिहनगर को की गयी थी।(संलग्न-10) अभियुक्तगणों द्वारा यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि इनके द्वारा उपरोक्त उपरोक्त वर्णित 165 वृक्षों का पुनर्स्थापित करने हेतु किसी तकनीकी संस्था से मदद ली गयी अथवा नहीं। इनके द्वारा वृक्षों को पुनः स्थापित करने कि कोई परमिशन/एन.ओ.सी. किसी भी सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं कि गयी, कई बार अवगत कराने के पश्चात भी आतिथि तक उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा वृक्षों की क्षति का मुआवजा जमा नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में जाँच उप प्रभागीय वनाधिकारी, के स्तर पर गतिमान है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र आर्या)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

तराई पश्चिमी वन प्रभाग (पश्चिमी वृत्त) नैनीताल
रामनगर जिला-नैनीताल

पुस्तक सं० 91

क्रम संख्या 50

वना माला सं० 1976

वृत्त अपराध प्रसूचना संख्या 507/21 दिनांक 12-02-2023 राजि काशीपुर रावे

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान 1. उमर 56 भादरा जतापपुर तदमील-काशीपुर जिला - (उत्तरांचल-राज)

2. काशीपुर - श्री मुखेश गुप्ता 96 श्री सुरेश कुमार गुप्ता
ग्राम - मादपुर, तदमील-काशीपुर, जिला-USA

2- साक्षी का नाम

- 1- श्री रामन (देवी लैन 0)
- 2- स्वयं वन विद मानकारी

श्री रमेश चन्द्र उपराधिक
प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत
करे।
वन क्षेत्राधिकारी
काशीपुर रेंज
सं० 50 वं प्र० रामनगर

3- कथित अपराध का पूरा विवरण तथा दिनांक 12-02-2023 की बात: ग्राम के दोहन मूल्य
तदमील पुर ग्राम जतापपुर के नाम गौदाता मोड़-हेमपुर निक मोरी मार्ग पर
दोहन के लक्ष्य उपरोक्त का संख्या (2) का वन कारनामा की जाचशुभ
मैरिजिन में कंचमं (1) पर दो कारनामा के का/12-8 (देवपुर
दोहन मुद्रा उद्घाटन अधिकारी उधम सिंह नगर दोहन वीकत ग्राम बुनो के भी रिज
निर्वाचित दोहन ग्राम दोहन का सर्वेक्षण का ले जाया।
1. कंचमं वन उपजाते स्वतः जाच (पी.जे.)
ग्राम सं०-135, 150, 162, 170, 201, 205, 210, 220, 235,

4- मूल्य: 2.25, 2.45 कुल मूल्य 4.70

5- चालान और अनुसंधान के सम्बन्ध में महोदय दिनांक 12-01-2023 की बात: उपरोक्त साक्षी
विशेष कथन के साथ ग्राम के दोहन मूल्य मिली पर ग्राम: जतापपुर के
दोहन गौदाता मोड़-हेमपुर निक मोरी मार्ग के दोहन के लक्ष्य वृक्षों के
पर हमें कंचमं (2) पर दो कारनामा प्रमाण की जाचशुभ में सुबे ग्राम
के दोहन दोहन सर्वेक्षण का ग्राम बुनो के सर्वेक्षण करने। जो कि कारनामा के
मूल्य उद्घाटन अधिकारी उधम सिंह नगर दोहन वीकत ग्राम बुनो के

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख
आवेदन के लिए प्रमाण पुस्तक सं० 507/21 के दोहन वृक्ष जाच, तदमील मूल्य
उधम सिंह नगर दोहन वीकत ग्राम बुनो के सर्वेक्षण का ले जाया।
कारनामा के कारनामा के दोहन वृक्ष जाच (पी.जे.) पर दोहन
कारनामा के कारनामा के दोहन वृक्ष जाच (पी.जे.) पर दोहन
कारनामा के कारनामा के दोहन वृक्ष जाच (पी.जे.) पर दोहन
कारनामा के कारनामा के दोहन वृक्ष जाच (पी.जे.) पर दोहन
कारनामा के कारनामा के दोहन वृक्ष जाच (पी.जे.) पर दोहन

फार्म संख्या एच. 2

तराई पश्चिमी वन प्रभाग (पश्चिमी वृत्त) नैनीताल
रामनगर, जिला-नैनीताल

पुस्तक सं०

क्रम संख्या

03

पुस्तक सं० 46/1976

17-02-2023

पुस्तक सं० 4/10 के अन्तर्गत प्रसूचना संख्या 03/06 दिनांक राजि क.रा.पं.

- 1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान - इमरा 5/6 चाटवना जतापपुर तहसील - काशीपुर जिला - (30 मिनट नगर)
- 2. कार्रवाही - श्री सुधीर गुप्ता 5/6 श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम - चाटपुर तहसील - काशीपुर जिला - US/11

- 2- साक्षी का नाम - श्री सुरेश चन्द्र उप राजिक
- 1. लाल इमरा (देवी लाल) प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- 2. वन वन वीर अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी
काशीपुर रेंज
नैनीताल जिला, रामनगर

3- कथित अपराध का पूरा विवरण तथा दिनांक 17-02-2023 की जतापपुर गांव के दोपहर सूचना मिली पर वन प्रभाग जतापपुर के जम गौरावाला मोड़ तहसील लीक मोड़ मार्ग पर दक्षिण की तरफ प्रसूचना क्रम संख्या (2) पर दफ्त कार्रवाही की जापत्रा में पूर्व शानि मे कर संवत् 1, पर दफ्त कार्रवाही के कारिन्दे (देवी लाल) द्वारा मुख्य उद्योग प्रोचकारी इद्योग सिद्ध नगर द्वारा बुकीका साम हस्त के अतिरिक्त मिठना की दफ्त ग्राम के बुकीका बुकीका पालन कर ले लाना ।

1. को संवत् वन उजाह, वन लाना, संवत् 11
ग्राम संवत् - 1-50, 1-35, 1-60, 2-35, 1-65, 1-80, 1-70, 1-95, 2-45,

4- युक्त
1-50, 1-40, 1-85, 1-75, 1-55, 2-05,
कुल मिठा - 15 वृत्त

5- चालान और अनुसंधान के सम्बन्ध में दिनांक 17-02-2023 की जतापपुर प्रयोग प्रोचकारी के विशेष कथन संवत् गौरावाला मोड़ तहसील लीक मोड़ मार्ग के दक्षिण की तरफ कूट दूर चलने पर हम कर संवत् 1, पर दफ्त कार्रवाही प्रयोग की जापत्रा में पूर्व शानि

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख के इवत दफ्त बुकीका के ग्राम वृत्त के संवत् दिवसे (नो) कि कार्रवाही के मुख्य इद्योग प्रोचकारी इद्योग सिद्ध नगर द्वारा बुकीका साम हस्त के अतिरिक्त है दिनका बुकीका में से बुकीका बुकीका पालन कर ले लाना तत्काल सूचना इद्योग प्रोचकारी महोदय को दी गयी। तत् पर प्रमाण में के वर को संवत् 1, पर दफ्त कार्रवाही के कारिन्दे (देवी लाल) को बुलाया गया। व संवत् की: साम हस्त वन वृत्त की शानि ती इसके द्वारा उवत कर ग्राम वृत्तों को प्रोचकारी वन से कार्रवाही बुकीका को बुकीका बुकीका पालन कर ले लाना व विप्रयोगीय प्रसूचना चाहा है।

मत: प्रयोगीय सूचना महोदय को सेवा में सादर उचित है।

राजेश सिंह

No 24 फरवरी / फरवरी, 2023

उप प्रभागीय वन अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

Division पश्चिमी

Circle Uttarakhand Pradesh

1300

No. 360073

FOREST DIVISION

From

11/10/2020

वन क्षेत्रीय अधिकारी

Forest Officer

त० प० य० प्र० रामनगर

[Faint, mostly illegible text and a large handwritten signature or scribble in the center of the page.]

मं. 25 | काशी | फरवरी, 2023

उप प्रभागीय ज्वालिका
 तराई पश्चिमी वन [सुभांग]
 रामनगर (वि. वि. नगर)

Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

No. 360074

FOREST DIVISION

इसके अंतर्गत [सुभांग] के [वि. वि. नगर] में
 प्रभागीय वन [सुभांग] के [वि. वि. नगर] में
 50,000 (अपना पत्तल हथकर) का
 वन क्षेत्र [सुभांग] के [वि. वि. नगर] में 2022-2023
 का [सुभांग] के [वि. वि. नगर] में
 2013 रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
 काशी
 वि. वि. नगर
 ल० प० व० प्र० रामनगर

Handwritten signature

RECEIVED

गं 30/काशी/फरवरी 2022
उप प्रभारी

वर्क ऑफिस
कमन्स (निनीसाल) [प]

Department

Circle Uttarakhand Pradesh

3300

No. 360079

FOREST DIVISION

From श्री सुधीर कता आ श्री सुरेश कुमार गुला

of Nupoes गाम चौक नरमल काठानपुर 750007

750007 (रुपया चिन्हदार हजार) मात्र

गणत 20/2022 काशी/2022

20/22 काशी/2022
वन अधिकारी
काशीपुर रेंज

Handwritten notes and signatures on a separate piece of paper attached to the document.

S.H. 2

क्र. 31 काशी/ फरवरी, 2023

उप प्रभागीय वनधिकारी (रॉज)
तराई पश्चिमी वन प्रभाग

Circle Uttarakhand Pradesh

No. 360080

FOREST DIVISION

From श्री अक्षय नरसिंह शर्मा, मुन्डी, मुन्डी, मुन्डी, मुन्डी

विकास - चण्डपुर तालुका, काशीपुर, उत्तरांचल प्रदेश

Amount 45000/- (अष्टादश हजार मात्र)

दिनांक 10 फरवरी 2023

10/2/2023

वन अधिकारी
काशीपुर रेंज

114 सं० 1.11 / काशी / मार्च, 2023

Forest Department काशी Circle Uttarakhand Pradesh
Book No. 3305

[प]
उप प्रमुख वन विभाग
No. 360535
काशी (मिती)

FOREST DIVISION

Received From श्री. राजेश कुमार

the sum of Rupees ₹ 10000/-

on account of विकास कार्य

Dated 31/03/2020

वन क्षेत्र अधिकारी
काशीपुर रज
व० प० व० प्र० रायनगर

15
15/11/2023
प-६

(4) मुख्य उद्यान अधिकारी उधम सिंह नगर के पत्रांक 270/तक-2/सी एम/हेल्पलाइन/2022-23 दिनांक 23-05-2023 पर संयुक्त समिति गठन कर जिसमें जगदीश चंद्र तिवारी, जेष्ठ उद्यान निरीक्षक/प्रभारी उद्यान सचल दल केंद्र काशीपुर और दिवाकर पांडे, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान दल सचल केंद्र कुंडेश्वरी उधम सिंह नगर के द्वारा जांच कर पत्रांक 22/वृक्ष पातन/2023-24 दिनांक 27-05-2023 के माध्यम से निरीक्षण आख्या 24-05-2023 में स्पष्ट रूप से पाया गया कि 579 वृक्ष को काटा गया है और जुर्माना वसूले जाने वाले पौधों की संख्या 648 बताई गई और लिखा गया कि वर्तमान में प्लांटिंग का कार्य चल रहा है और सड़क तथा बाउंड्री वॉल का निर्माण जारी है।(संलग्न 18-20 पृष्ठ में)

(5) दिनांक 19 जून 2023 को वन विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा भी एक संयुक्त जांच की गई। इसमें उपरोक्त सही जांचों को षड्यंत्र के तहत लीपा-पोती करते हुए खानापूर्ति कर गलत सिद्ध दिया गया।

(6) दिनांक 5 जुलाई 2023 को उद्यान विभाग और वन विभाग के द्वारा एक संयुक्त जांच की गई। इस जांच में भी खानापूर्ति की गई है।

(7) खाता खतौनी संख्या 00027 में 5.2890 हेक्टर भूमि व खाता खतौनी संख्या 00125 में 4.3380 हेक्टर भूमि उक्त बगीचे के मूल खातेदार उमेश गुप्ता पुत्र इंद्रदेव व गुप्ता महेश गुप्ता पुत्र इंद्रदेव गुप्ता के कोई संतान नहीं थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके रिश्तेदारों में उनकी संपत्ति को लेकर आपसी विवाद हो गया और इस भूमि को गलत तरीके से राजस्व विभाग की मिली भगत से अलग-अलग रिश्तेदारों के खातों में चढ़ावा कर भूमि को आनन-फानन में बेचा गया इसकी भी गहनता से जांच की जाए।

(8) वर्तमान में यह राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि है और अभी तक 143 नहीं हुई है और ना ही कॉलोनी डेवलप करने की कोई अनुमति इसमें ली गई है। उप जिलाधिकारी काशीपुर और तहसीलदार काशीपुर 26 सितंबर 2023 की मौका जांच में इसके प्रत्यक्ष दर्शी है उक्त कॉलोनी संपत्ति को सीज किया जाए।

(9) उक्त बगीचे की भूमि के सभी खातों की वीडियोग्राफी कराई जाए वर्तमान में सभी वृक्षों (पूर्व पेड़ और वर्तमान में नये लगाए पेड़) को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जाए। वर्तमान में नये जो पेड़ लगाए वह राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि/नहर की पटरी पर लगे है।

(10) एडीएम उधम सिंह नगर के निर्देशन में 26 सितंबर 2023 को जांच में जो अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे उन सभी पर उक्त मामले में भ्रष्टाचार और षड्यंत्र का आरोप मेरे द्वारा लगाया गया है और उन्होंने ही पेड़ों की गिनती की है कोई स्वयं अपनी जांच करके अपने गले में कैसे फंदा डालेगा और अपने आप को स्वयं कैसे दोषी सिद्ध करेगा आपसे मेरी विनती है कि आप पेड़ों की गिनती पीएससी (अन्य विभाग) से कराए।

(11) 1100 पेड़ों में 150 पेड़ों की पातन अनुमति दी गई थी लगभग 600 पेड़ों अधिक काटे गए हैं ₹5000 प्रति के हिसाब से इन का जुर्माना वसूला जाए वर्तमान

O.A. No. 17/2024 Hardeep Sharma. Vs. Ramesh Chand Aarya & Ors.

-5-

Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List the matter on 25.04.2024 for further consideration.

8. A copy of this order be sent to the CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 15th, 2024
AG

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी (जसपुर) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
 पत्रांक 678 / 23-2 दिनांक, 30/04/2024
 सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024 Hardeep Sharma Vs. Ramesh Chand Arya & Ors. में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपकी पत्र सं0 4170/23-2 दिनांक 04.03.2024 एवं पत्र सं0 आर0 9047/29-3 दिनांक 16.04.2024।

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में Factual and Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी थी, जिसमें सुनवाई की तिथि 25.04.2024 निर्धारित थी। क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) ने सदस्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को पत्र सं0 यू0के0पी0सी0बी0/आर0ओ0के0 रिट 90/24/दिनांक 22.04.2024 (संलग्न-1) के द्वारा अवगत कराया गया है कि " उक्त प्रकरण में जिला प्रशासन उधमसिहनगर, वन विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिहनगर में संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 का मतदान हुआ था। निर्वाचन दायित्व में लगे होने के कारण अन्य विभागों, शिकायतकर्ताओं तथा अन्य से समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है। अतः सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 में व्यस्तता के कारण प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। "

अतः क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गयी है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


 उप प्रभागीय वनाधिकारी, (जसपुर)
 तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।



केन्द्रीय कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
चामुण्डा कान्पलैक्स, रामनगर रोड
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

पत्रांक- यू.के.पी.सी.बी./आर.ओ.के./रिट-9/24/14
सेवा में,

दिनांक 22/4/24

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा
बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

उक्त के क्रम में जिला प्रशासन, उधमसिंहनगर, वन विभाग, उधमसिंहनगर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। महोदय अवगत होना चाहें कि दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 का मतदान हुआ था, जिस कारण प्रशासन तथा अन्य विभागों के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण, अन्य विभागों, शिकायतकर्ताओं तथा अन्य से समन्वय कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करने में समय लग रहा है।

अतः सामान्य लोक सभा निर्वाचन-2024 में व्यस्तता के कारण प्रकरण पर रिपोर्ट दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अतः उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(मिर्शा गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

9/2
11/24
22/4/24

Item No.4

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 147/2024

Hardeep Sharma

...Applicant

Versus

Ramesh Chand Arya & Ors.

...Respondents

Date of hearing: 25.04.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: Applicant in person.

Application is registered based on a letter petition received by Post.

ORDER

1. Mr. Hardeep Sharma has sent by Post the present letter petition to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 147/2024. The applicant has complained about illegally cutting of more than 600 trees by respondents no. 1 to 10 on the basis of permissions taken for cutting of 150 trees out of 1100 trees and closing of the matter by Forest Department by imposing penalty for cutting of 88 trees.
2. Vide order dated 15.02.2024 State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Divisional Forest Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand Pollution Control Board, through its Member Secretary and District Magistrate, Udham Singh Nagar were impleaded as respondents No. 11 to 14 and Joint Committee was constituted comprising of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate,

O.A. No. 147/2024 Hardeep Sharma. Vs. Ramesh Chand Aarya & Ors.

-2-

Udham Singh Nagar with direction to submit its factual and action taken report.

3. Report of the Joint Committee has not been filed so far.
4. As per office report respondents no. 11 to 14 have been duly served but replies/responses have not been filed by respondents no. 11 to 14.
5. Report of the Joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. As per office report notices have been sent to respondents no. 1 to 10 by speed post but the same are not stated to have been delivered to them.
7. Notices be issued again to respondents no. 1 to 10 requiring them to file their replies/responses within two months as directed above.
8. Notices be served on respondents no. 1 to 10 through the District Magistrate, Udham Singh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 1 to 10 be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard
9. List the matter on 24.05.2024 for further consideration.
10. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Udham Singh Nagar by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 25th, 2024
AG



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road
Kashipur, US Nagar,

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/1815/24

दिनांक 18/5/24

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-UKPCB/ROK/सा0-183-757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 तथा 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया।

अतः संयुक्त जांच आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी काशीपुर।
6. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
7. श्री संदीप गिरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर ऊधमसिंहनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) 18/5/24

प्रसारीत
परिवर्तन
10430
24-05-2024

प्रसारीत
परिवर्तन
गमननगर

-1-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associates the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. the State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण पर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, काशीपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित प्रतिनिधि श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, प्रभागीय वनाधिकार, प्रभागीय वन प्रभाग तराई पश्चिमी, रामनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री संदीप गिरी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.04.2024 को शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामी की ओर से श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-1)।


निरीक्षण की दिनांक 16.04.2024 को उक्त भू-खण्ड पर पेड़ों/पौधों की संख्या की गिनती राजस्व व अन्य विभागों के दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण नहीं की जा सकी।

दिनांक 25.04.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"Report of the joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विषयगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-2)।

संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है-



-2-

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि, ग्राम चांदपुर, त0-काशीपुर के भू-खण्ड, खाता संख्या-00027, 00125, 00126 व 00208 में कुल रकवा 9.910 हेक्टेअर पर लगभग चारो ओर वाउन्डीवाल की गयी है। उक्त भू-खण्ड के मध्य में भू-स्वामी का पुराना मकान/कोठी है, जिसे अन्य भू-खण्ड से पृथक करते हुए वाउन्डीवाल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष भू-खण्ड, जो कि उक्त मकान/कोठी के बायें व दाहिनी तरफ स्थित है, पर लगभग 60 फिट, 35 फिट, 25 फिट चौड़ी आदि आर.सी.सी. निर्मित सड़कों का निर्माण किया गया है। उक्त भू-खण्ड पर सड़क निर्माण तथा गेट निर्माण का कार्य एवं भूखण्ड के दो प्लाटों पर भवन निर्माण का कार्य चलता हुआ पाया गया। उक्त भू-खण्डों पर आम, लीची, नाशपाती सहित अन्य छोटे-बड़े वृक्ष भी पाये गये।
2. उक्त खाता संख्या-00027, 00125, 00126, 00208, कुल रकवा 9.910 हेक्टेअर भूमि में वर्ष 2021 से पूर्व खाता संख्या-00027, में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00126 में श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00125, श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, नकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, खाता संख्या-00208, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव के नाम पर दर्ज थी। श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव तथा श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव की मृत्यु के पश्चात वर्ष-2021 में उक्त भू-खण्ड श्री नकुल कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार, श्रीमति राजेश गुप्ता तथा श्री सुरेश कुमार के नाम दर्ज हो गयी। जो कि वर्तमान में अनेक छोटे-बड़े भू-खण्डों में विहित होकर लगभग 72 भू-स्वामियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूखण्डों में खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-150 कुल रकवा-1.088 हेक्टेअर भूमि अकृषक दर्ज है, शेष कृषि भूमि दर्ज है।
(खतौनी संलग्न, संलग्नक-3)।
3. उक्त भू-खण्ड स्वामियों श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के 25 वृक्षों तथा खसरा संख्या-157 आम के 50 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147 में आम के 60 वृक्षों के पातन तथा श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 में आम के 50 वृक्षों के पातन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रार्थना पत्रों की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-4)।
4. उक्त प्रार्थना पत्रों के अनुक्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147, खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 तथा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 पर आम के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी (संलग्नक-5)।
1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री आर.डी. भट्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।






-3-

3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2022 को खाता संख्या-0027 के तहत नं०-157 में लीची के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी-(संलग्नक-6)

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री गोपाल राम, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.12.2022 को श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक तथा श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें वृक्षों के पातन न किये जाने की संस्तुति की गयी। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5 में बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्नानुसार अवगत कियी गयी (संलग्नक-7)।

1. आम के वृक्ष-718(278 आम वृक्ष लगभग 50 साल, शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)।
2. लीची के वृक्ष-334(लीची वृक्ष की आयु 6 साल से 35 साल)।
3. नाशपाती के वृक्ष-48(नाशपाती वृक्ष लगभग 6 साल)।
4. कटहल के वृक्ष-01(कटहल वृक्ष 15 साल)।

उपरोक्तानुसार कुल वृक्षों की संख्या 1101 है।


5. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के विरुद्ध प्रार्थियों द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दिनांक 28.12.2022 को आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये पुनः स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बाग काफी बड़ा होने एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीति गठित कर संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 03.01.2023 को संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काशीपुर को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-8)।
6. उक्त अनुरोध के क्रम में तहसीलदार, काशीपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को श्री राम सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर, कु० निर्मला मनौला, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर तथा उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक श्री देवाधर शर्मा तथा श्री शंकर लाल कोहली को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-9)।
7. उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.01.2023 तथा 22.01.2023 को सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अपनी जांच रिपोर्टें तहसीलदार, काशीपुर के माध्यम से दिनांक 17.01.2023 व 31.01.2023 को मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की गयी (संलग्नक-10)

8. उक्त जांच आख्याओं के आधार पर आवेदित खसरा संख्याओं में आम के कुल-128 वृक्ष तथा लीची के कुल-22 वृक्षों के पातन की सशर्त अनुमति जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 19.01.2023 तथा 06.02.2023 को निर्गत की गयी (संलग्नक-11)।
9. उक्त पातन के सम्बन्ध में सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में वन विभाग द्वारा की गयी जांच के आधार पर 150 वृक्षों के पातन की स्वीकृति के अतिरिक्त 88 वृक्षों के बिना अनुमति पातन पर वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा -4 व 10 के अन्तर्गत रु0 4,40,000/- का जुर्माना आरोपित किये जाने एवं वसूले जाने की सूचना दिनांक 19.07.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दी गयी (संलग्नक-12)।
10. इससे पूर्व सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में उद्यान विभाग के श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी तथा श्री दिवाकर पाण्डे, सहायक विकास अधिकारी द्वारा उक्त बाग का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 24.05.2023 तक कुल जीवित पौधों की संख्या-531, काटे गये पेड़ों की संख्या-470 अवगत करायी गयी (जिसमें 150 वृक्षों की अनुमति तथा बिना अनुमति के काटे गये 88 वृक्ष भी सम्मिलित हैं)। इसके अतिरिक्त प्लांटिंग के अन्दर 90 प्रतिशत हानि पहुंचाये गये वृक्षों की संख्या 178 भी अवगत करायी गयी (संलग्नक-13)।
11. राजस्व विभाग के फसली वर्ष 1430 (2022-2023) के खसरा नकल के अनुसार उक्त भूखण्ड पर आम के 505 वृक्ष, लीची के 320 वृक्ष, नाशपाती के 50 वृक्ष, कटहल के 2 वृक्ष तथा अन्य 16 वृक्ष दर्ज अभिलेख है। नकल की छयाप्रति संलग्न है (संलग्नक-14)।
12. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गदित टीम द्वारा दिनांक 26.09.2023 को सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हस्दीप शर्मा (जा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, के आवेदक) तथा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, काशीपुर; मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर; उपप्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर; वनक्षेत्राधिकारी, काशीपुर; तहसीलदार, काशीपुर सहित राजस्व विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। संयुक्त टीम द्वारा वृक्षों की गणना की गयी। तत्समय मौके पर खड़े एवं जीवित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी (संलग्नक-15)।

1. आम-505
2. लीची-320
3. नाशपाती-50
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-879 वृक्ष पाये गये।

उक्त योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गदित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हस्दीप शर्मा तथा भू-स्वामियों की उपस्थिति में



-5-

सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को करते हुये उक्त भू-खण्ड में वृक्षों की गणना की गयी। निरीक्षण के समय जोके पर जड़े वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी। (संलग्नक-16)।

1. आम-411 (13 वृक्ष सूखे एवं अन्य जीवित)
2. लीची-263
3. नाशपाती-25
4. कदल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-703 वृक्ष पाये गये।

उक्त सम्पूर्ण भू-खण्ड में की गयी फलदार वृक्षों की गणना के अनुसार वर्तमान में दिनांक 26.09.2023 को की गयी गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष, कुल-176 वृक्ष कम पाये गये। इस सम्बन्ध में भू-खण्ड स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त में से 165 वृक्षों को अन्यात्र प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण सुखा वृक्षारोपण, जन सेवा समीति (रजि0) नामक संस्था का पत्र प्रस्तुत कराया गया है (संलग्नक-17)। उक्त सम्बन्ध में वृक्षों के अन्यात्र प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भू-स्वामियों द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वन विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि वृक्षों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी नियम विद्यमान नहीं है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार, कम पाये गये कुल 176 वृक्षों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 प्राप्त कराया गया है (संलग्नक-18)। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त चांदपुर ग्राम विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है


(नरेश गोस्वामी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर,
उधमसिंहनगर।



(संदीप गिरी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, जसपुर,
उधमसिंहनगर।



(रुना उरौव)

वैज्ञानिक 'थ'

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।



(अभय प्रसाद सिंह)

उप जिलाधिकारी

काशीपुर, उधमसिंहनगर।

राजि अपराध सं 03/काशी/2024-25

फार्म संख्या एच. 2

तराई पश्चिमी वन प्रभाग (पश्चिमी वृत्त) नैनीताल

रामनगर, जिला-नैनीताल

वन संरक्षण अधिनियम
पुस्तक सं 0
176 धारा 4/10

कम संख्या 39

वन अपराध प्रसूचना संख्या 33/08 दिनांक 21.05.2024 फरजि काशीपुर

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
① कजलका श्री सुनील कुमार S/O श्री सुनील कुमार
② महुस कुमार सुनील S/O श्री महेश कुमार सुनील
निवासी ग्राम महुस न काशीपुर जिला
(उद्यान सिंह नगर)

2- साक्षी का नाम
① श्री अमरकाश वन इंसपेक्टर काशीपुर प्राणिकी सूचना श्रीमान प्र. व. त.
प. रामनगर की वेब में द्वारा उप
सूचनाधिकारी (महुस) सूचना
प्राप्त।
② श्री जसपाल सिंह वन आरक्षी वन क्षेत्राधिकारी
काशीपुर रेंज
③ स्वयं वन सीट आरक्षी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

3- कथित अपराध का पूरा विवरण तथा दिनांक
N.G.T टीम के पत्र सं URPCB/R.O.R./
2024/रिट-30/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुपालन के अन्तर्गत
जै.स. काशीपुरा के अनुसार/सूचना आम के 34 वृक्ष, सीमा 27 वृक्ष तथा नैनीतारी
के 25 वृक्ष कुल = 176 वृक्ष कम पाए जाने

4- मूल्य

5- वाजान और अनुमोहन के तैयारी के विशेष कथन
महुस नैनीतारी के N.G.T टीम के
पत्र सं URPCB/R.O.R./2024/रिट-30/84 दिनांक
18.05.2024 के अनुपालन के अनुसार वृक्ष 26.09.23

6- प्रसूचना के बारे और प्रमाण आदि का उल्लेख
को कर गुरु गणना के लपौटा आम के 34
वृक्ष, सीमा 27 वृक्ष तथा नैनीतारी के 25 वृक्ष
कुल = 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाए गए हैं वृक्षों को सूट
अपना करनी करी करी प्रमाणों पर सूट पर पाए गए हैं।
अतः प्राणिकी सूचना प्रेषण और सूचना में सूचना प्राप्त
प्राप्त है।

वृक्ष
सूचना
(प्रमाण)
वन बहि अधिकारी
काशीपुर वीर
दिनांक 21.05.2024

संलग्न - 7

(अतिआवश्यक / व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण)
कार्यालय वनक्षेत्राधिकारी काशीपुर वन क्षेत्र, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल)।
पत्रांक-589 /29-1 रामनगर, दिनांक 22 जून 2024।

सेवा में,

1. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
2. श्री नुकूल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासीगण ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

द्वारा:- मू-स्वामी उपरोक्त की ओर से उनके नियुक्त प्रतिनिधि-
श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गौयल
निवासीगण- हाल निवास काशीपुर उधमसिंहनगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.24 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) का पत्रांक यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुपालन में।

उपरोक्त विषयक NGT टीम के पत्रांक यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के अनुपालन के अनुसार दिनांक 26.09.2023 को की गई गणना के सापेक्ष कथित ढाग में आन 94, लीची 57, नाशपाती 25 कुल 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाये गये हैं। जिस सम्बन्ध में राजि वन अपरख संख्या 03/काशी0/2024-2025 पंजीकृत किया गया है।

अतएव NGT के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन एवं संयुक्त जांच आख्या में दिये गये निर्देशों के अनुसार कम पाये गये 176 वृक्षों से सम्बन्धित पंजीकृत राजि वन अपरख संख्या 03/काशी0/2024-2025 के सम्बन्ध में अपने बयान हेतु दिनांक 28.06.2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सूचना जानें।

वन क्षेत्राधिकारी
काशीपुर
तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर

पत्र प्राप्त किया


(SIDDHANT GOYAL)

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी (जसपुर) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
पत्रांक 58 / 29-1 दिनांक, 23/09 2024
सेवा में,

1. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
2. श्री नुकूल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासीगण ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिहनगर।

द्वारा भू- स्वामी उपरोक्त की ओर से उनके नियुक्त प्रतिनिधि-
श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल
निवासीगण- हाल निवास काशीपुर उधमसिहनगर।

विषय:- वन अपराध सं० 03/काशीपुर/2024-25 के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वन क्षेत्राधिकारी ने अपने पत्र सं० 589/29-1 दिनांक 22.06.2024 के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त टीम का गठन किया गया तथा संयुक्त टीम ने अपने पत्रांक यूकेपीसीबी/आरओके/2024/रिट-90/84 दिनांक 18.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.09.2023 को की गई गणना के सापेक्ष कथित बाग में आम-94, लीची 57, नाशपाती-25 कुल 176 वृक्ष गणना करने पर कम पाये गये हैं। इस घटना का वन अपराध सं० 03/काशी०/2024-25 पंजीकृत किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति के द्वारा प्रेषित जाँच आख्या के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में 176 वृक्ष कम पाये गये तथ इस घटना का वन अपराध सं० 03/काशी०/24-25 पंजीकृत किया गया है। अतः आपके उक्त 176 वृक्षों का मुआवजा जमा करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक 176 वृक्षों का मुआवजा जमा नहीं किया गया है। आप पत्र प्राप्ति के 02 दिन के अन्तर्गत पातित 176 वृक्षों का मुआवजा रोज कार्यालय काशीपुर में जमा करने का कष्ट करे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक 58 / 29-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित को पत्र प्राप्त करा कर प्राप्ति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

o/c

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी (जसपुर) तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
पत्रांक 76/271 दिनांक, 9-10-2024

सेवा में,

1. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता
2. श्री नुकूल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासीगण ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधमसिहनगर।

द्वारा भू- स्वामी उपरोक्त की ओर से उनके नियुक्त प्रतिनिधि-
श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल
निवासीगण- हाल निवास काशीपुर उधमसिहनगर।


विषय:- वन अपराध सं0 03/काशीपुर/2024-25 के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस पत्र सं0 58/29-1 दिनांक 23.09.2024 के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा 176 वृक्षों में से 165 वृक्षों को स्थापित किया गया है तथा 48 वृक्ष सूख गये एवं 11 वृक्ष कम पाये गये हैं

आप 176 वृक्षों में से मात्र 59 वृक्षों (48 सूखे वृक्ष तथा 11 वृक्ष कम पाये गये) का मुआवजा जमा करने को तैयार है। आप 165 वृक्षों के सम्बन्ध में अवगत कराये कि:-

1. आपके द्वारा 165 वृक्षों को किस शासनादेश/नियमावली के तहत स्थापित किया गया है।
2. आपके द्वारा 165 वृक्षों को स्थापित करने से पूर्व किस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था।
3. आपके द्वारा 165 वृक्षों को जिन स्थानों में स्थापित किया गया है उक्त क्षेत्र से प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।
4. वर्तमान में 165 वृक्षों की स्थिति क्या है?


अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर इस कार्यालय को अवगत कराये ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर को इस आशय से प्रेषित की सम्बन्धित से प्रतिउत्तर प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।


उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर
जाँच अधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

26-9-24.


सेवा में,

उप प्रभागीय वन अधिकारी (जसपुर)/जाँच अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर
(नैनीताल)

विषय - वन अपराध सं० 03/काशीपुर 2024-25 के संबंध में

संदर्भ - आपके कार्यालय पत्र संख्या 58/29-1 दिनांक 23-09-2024 के अनुपालन में
महोदय ,

उपरोक्त विषयक संबंधित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि आपके द्वारा जिन 176 वृक्षों के कम पाये जाने के संबंध में मुआवज़ा जमा करने हेतु लिखा गया इसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे द्वारा 176 पेड़ों के सापेक्ष 165 वृक्ष पुनः स्थापित किए गए हैं जिनमें से 48 वृक्ष सूख चुके हैं तथा 11 वृक्ष मौक्रे पर कम पुनः स्थापित किए गए थे इस प्रकार मौक्रे पर 176 वृक्षों में से 117 वृक्ष जीवित स्वस्थ हालात में मौक्रे पर खड़े हैं जिनके photograph हमारे द्वारा संलग्न किए जा रहे हैं इनके अलावा 59 वृक्ष जो कि सूख व कम पुनरोपित किये गए हैं उनका निम्नः अनुसार जो भी मुआवज़ा जमा करना होगा उसे हम जमा करने को तैयार हैं ।


26/9/24

सिद्धान्त गोयल

नियुक्त प्रतिनिधि

(भू - स्वामी श्री नकुल कुमार गुप्ता)

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
तराई पचिमी वन प्रभाग,
रामनगर नैनीताल

विषय:- पेड़ो अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम चांदपुर तह0काशीपुर जिला उधमसिंहनगर खतौनी फसली वर्ष 1426 से1431 के खाता सं0 125, 126, व 27 के खसरा नं0145 मिन, 146 मिन, 152 मिन, 153 /1 मिन, भूमि में राजेश गुप्ता पत्नि श्री स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0महेश कुमार का नाम वर्ग 1-क संकमणीय भूमिधरी में दर्ज है। जिसमें से 54 पेड़ आम, 56 पेड़ लीची व 15 पेड़ नाशपति का स्थानीयकरण करवाना चाहते हैं। उपरोक्त पेड़ो की शिफ्टिंग कराने का कार्य पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, जनसेवा समिति द्वारा किया जायेगा। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान तहसीलदार कार्यालय,काशीपुर एवं उपजिलाधिकारी महोदय, काशीपुर के कार्यालय से उपरोक्त के संबंध में आख्या विभिन्न विभागों को प्रेषित की जा चुकी है। 125 वृक्षों में 10 वृक्ष सी0ओ0आफिस,काशीपुर ख0नं0 622- महेशपुरा काशीपुर में स्थानीयकरण कराना चाहते हैं, व 11 वृक्ष समसारा रिसॉर्ट कंचनपुरी छोई रामनगर में कराना चाहते हैं व 25 वृक्ष आदर्श धाम (आनन्दपुर ट्रस्ट समिति) ख0नं0 260 भोगपुर काशीपुर व 79 वृक्ष सेन्ट मारिया सकूल ख0नं0 155 भवानीपुर मुरादाबाद में कराना चाहते हैं, जिसके संबंध में प्रार्थी महोदय को सूचित कर रहा है।

दिनांक :-

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पचिमी वन प्रभाग
रामनगर
10293
21-9-1-2024
21-5-2024
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पचिमी वन प्रभाग रामनगर

प्रार्थी,
Nakul Gupta

नकुल कुमार गुप्ता

पुत्र श्री स्व0महेश कुमार गुप्ता

ग्राम चांदपुर,काशीपुर जिला उधमसिंहनगर

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dtotaralwest@gmail.com

पत्रांक 5519 / 23-2

दिनांक, रामनगर, 22-05-2024

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
उद्यमसिंहनगर

विषय:

नाम खेत में स्थित आम, लीची व नाशपाति वृक्षों की शिफिटिंग करने के सम्बंध में।

सन्दर्भ :-

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उद्यमसिंह नगर का पत्रांक 21-05-2024।

महोदया

उपरोक्त विषयक क्रम में श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उद्यमसिंह नगर द्वारा अपनी नाप भूमि (वर्ष 1426 से 1431 खाता संख्या 126, 126 व 27 के खसरा संख्या 145 मिन, 153/2 मिन, 146 मिन, 152 मिन) में विद्यमान आम के 54 वृक्ष, लीची के 56 पेड़ व नाशपाति के 15 वृक्षों को अन्यत्र नाप भूमि में शिफिटिंग करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वृक्षों की शिफिटिंग का कार्य बेहद तकनीकी व विशेषज्ञों के निर्देशन में किया जाने वाला कार्य है। वृक्षों की शिफिटिंग का कार्य करने से पूर्व शिफिटिंग का कार्य करने वाली टीम का आकलन किया जाना आवश्यक है चूंकि उक्त वृक्ष फलदार श्रेणी के हैं इसलिए कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है। उक्त पत्र मूल में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- मूल प्रार्थना पत्र

भवदीय,

(प्रकाश चन्द आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 5519 / दिनांकित

- 1- प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, काशीपुर को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उद्यमसिंह नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि फलदार वृक्षों से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उद्यान अधिकारी अधिकृत है। इसलिय उचित होगा कि भविष्य में उन्हीं से पत्राचार करें।

(प्रकाश चन्द आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

o/c



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road
Kashipur, US Nagar,

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/ रिट-90/84

दिनांक 18/5/24

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-UKPCB/ROK/सा0-183-757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 तथा 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया।

अतः संयुक्त जांच आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी काशीपुर।
6. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
7. श्री संदीप गिरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर ऊधमसिंहनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हर्दीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हर्दीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associates the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. the State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण पर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, काशीपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित प्रतिनिधि श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, प्रभागीय वनाधिकार, प्रभागीय वन प्रभाग तराई पश्चिमी, रामनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री संदीप गिरी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.04.2024 को शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामी की ओर से श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-1)।

निरीक्षण की दिनांक 16.04.2024 को उक्त भू-खण्ड पर पेड़ों/पौधों की संख्या की गिनती राजस्व व अन्य विभागों के दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण नहीं की जा सकी।

दिनांक 25.04.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"Report of the joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विषयगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया(उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-2)।

संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है-



1. निरीक्षण के समय पाया गया कि, ग्राम बांदपुर, त-0-काशीपुर के भू-खण्ड, खाता संख्या-00027, 00125, 00126 व 00208 में कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर पर लगभग चारों ओर वाडनीवाल की गयी है। उक्त भू-खण्ड के माध्य में भू-स्वामी का पुतना मकान/कोठी है, जिसे अन्य भू-खण्ड से पृथक करते हुए वाडनीवाल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष भू-खण्ड, जो कि उक्त मकान/कोठी के बायें व दायिनी तरफ स्थित है, पर लगभग 60 फिट, 35 फिट, 25 फिट चौड़ी आदि आर.सी.सी. निर्मित सड़कों का निर्माण किया गया है। उक्त भू-खण्ड पर सड़क निर्माण तथा गेट निर्माण का कार्य एवं भूखण्ड के दो प्लॉटों पर भवन निर्माण का कार्य चलता हुआ पाया गया। उक्त भू-खण्डों पर आम, तीली, नाशपाती सहित अन्य छोटे-बड़े वृक्ष भी पाये गये।
2. उक्त खाता संख्या-00027, 00125, 00126, 00208, कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर भूमि में वर्ष 2021 से पूर्व खाता संख्या-00027, में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव, खाता संख्या-00126 में श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव, खाता संख्या-00125, श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव, नकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, खाता संख्या-00208, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव के नाम पर दर्ज थी। श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव तथा श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्दरेव की मृत्यु के पश्चात वर्ष-2021 में उक्त भू-खण्ड श्री नकुल कसुर, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार, श्रीमति राजेश गुप्ता तथा श्री सुरेश कुमार के नाम दर्ज हो गयी। जो कि वर्तमान में अनेक छोटे-बड़े भू-खण्डों में विक्ति होकर लगभग 72 भू-स्वामियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूखण्डों में खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-150 कुल रकबा-1.088 हैक्टेयर भूमि अक्षक दर्ज है, शेष कृषि भूमि दर्ज है।
(खतौनी संतब्ब, संतब्बक-3)।
3. उक्त भू-खण्ड स्वामियों श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा नं-0-157 में तीली के 25 वृक्षों तथा खसरा संख्या-157 आम के 50 वृक्षों के पालन की अनुमति हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147 में आम के 60 वृक्षों के पालन तथा श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 में आम के 50 वृक्षों के पालन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रार्थना पत्रों की छायाप्रति संतब्ब, संतब्बक-4)।
4. उक्त प्रार्थना पत्रों के अनुक्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147, खाता संख्या-0027 के खसरा नं-0-157 तथा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 पर आम के वृक्षों के पालन हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी (संतब्बक-5)।
 1. श्री जगदीश चन्द्र तियाड़ी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सफल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
 2. श्री आर.डी. भट्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।






3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सवल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2022 को ज्ञाता संख्या-0027 के जसरा नं०-157 में लीची के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी-(संलग्नक-6)

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सवल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री गोपाल राम, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सवल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.12.2022 को श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक तथा श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें वृक्षों के पातन न किये जाने की संस्तुति की गयी। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5 में बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्नानुसार अवगत करायी गयी (संलग्नक-7)।

1. आम के वृक्ष-718(278 आम वृक्ष लगभग 50 साल, शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)।
2. लीची के वृक्ष-334(लीची वृक्ष की आयु 6 साल से 35 साल)।
3. नाशपाती के वृक्ष-48(नाशपाती वृक्ष लगभग 6 साल)।
4. कटहल के वृक्ष-01(कटहल वृक्ष 15 साल)।

उपरोक्तानुसार कुल वृक्षों की संख्या 1101 है।

5. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के विरुद्ध प्रार्थियों द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दिनांक 28.12.2022 को आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये पुनः स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बाग काफी बढ होने एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीति गठित कर संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 03.01.2023 को संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काशीपुर को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-8)।
6. उक्त अनुरोध के क्रम में तहसीलदार, काशीपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को श्री राम सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर, कु० निर्मला मनौला, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर तथा उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों श्री देवाधर भट्ट तथा श्री शंकर लाल कोहली को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-9)।
7. उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.01.2023 तथा 22.01.2023 को सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अपनी जांच रिपोर्टें तहसीलदार, काशीपुर के माध्यम से दिनांक 17.01.2023 व 31.01.2023 को मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की गयी (संलग्नक-10)

Ar

Punal

Ar


Ar

8. उक्त जांच आख्याओं के आधार पर आवेदित खसरा संख्याओं में आम के कुल-128 वृक्ष तथा लीची के कुल-22 वृक्षों के पातन की सशर्त अनुमति जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 19.01.2023 तथा 06.02.2023 को निर्गत की गयी (संलग्नक-11)।
9. उक्त पातन के सम्बन्ध में सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में वन विभाग द्वारा की गयी जांच के आधार पर 150 वृक्षों के पातन की स्वीकृति के अतिरिक्त 88 वृक्षों के बिना अनुमति पातन पर वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा -4 व 10 के अन्तर्गत रु0 4,40,000/- का जुर्माना आरोपित किये जाने एवं वसूले जाने की सूचना दिनांक 19.07.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दी गयी (संलग्नक-12)।
10. इससे पूर्व सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में उद्यान विभाग के श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी तथा श्री दिवाकर पाण्डे, सहायक विकास अधिकारी द्वारा उक्त बाग का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 24.05.2023 तक कुल जीवित पौधों की संख्या-531, काटे गये पेड़ों की संख्या-470 अवगत करायी गयी (जिसमें 150 वृक्षों की अनुमति तथा बिना अनुमति के काटे गये 88 वृक्ष भी सम्मिलित हैं)। इसके अतिरिक्त प्लांटिंग के अन्दर 90 प्रतिशत हानि पहुंचाये गये वृक्षों की संख्या 178 भी अवगत करायी गयी (संलग्नक-13)।
11. राजस्व विभाग के फसली वर्ष 1430 (2022-2023) के खसरा नकल के अनुसार उक्त भूखण्ड पर आम के 505 वृक्ष, लीची के 320 वृक्ष, नाशपाती के 50 वृक्ष, कटहल के 2 वृक्ष तथा अन्य 16 वृक्ष दर्ज अभिलेख है। नकल की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-14)।
12. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक 26.09.2023 को सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, के आवेदक) तथा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, काशीपुर; मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर; उपप्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर; वनक्षेत्राधिकारी, काशीपुर; तहसीलदार, काशीपुर सहित राजस्व विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। संयुक्त टीम द्वारा वृक्षों की गणना की गयी। तत्समय मौके पर छड़े एवं जीवित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी (संलग्नक-15)।

1. आम-505
2. लीची-320
3. नाशपाती-50
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपर्युक्तानुसार कुल-879 वृक्ष पाये गये।

उक्त योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामियों की उपस्थिति में



सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को करते हुये उक्त भू-खण्ड में वृक्षों की गणना की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर खड़े वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी। (संलग्नक-16)।

1. आम-411 (13 वृक्ष सूखे एवं अन्य जीवित)
2. लीची-263
3. नाशपाती-25
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-703 वृक्ष पाये गये।

उक्त सम्पूर्ण भू-खण्ड में की गयी फलदार वृक्षों की गणना के अनुसार वर्तमान में दिनांक 26.09.2023 को की गयी गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष, कुल-176 वृक्ष कम पाये गये। इस सम्बन्ध में भू-खण्ड स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त में से 165 वृक्षों को अन्यत्र प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण सुस्वा वृक्षारोपण, जन सेवा समीति (रजि0) नामक संस्था का पत्र प्रस्तुत कराया गया है (संलग्नक-17)। उक्त सम्बन्ध में वृक्षों के अन्यत्र प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भू-स्वामियों द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वन विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि वृक्षों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी नियम विद्यमान नहीं है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार, कम पाये गये कुल 176 वृक्षों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 प्राप्त कराया गया है (संलग्नक-18)। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त चांदपुर ग्राम विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है



(नरेश गोस्वामी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर,
उधमसिंहनगर।



(संदीप गिरी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, जसपुर,
उधमसिंहनगर।



(रुना उरौव)

वैज्ञानिक 'अ'

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।



(अमन प्रकाश सिंह)

उप जिलाधिकारी
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

आप दिनांक 16/04/2024 को सां. रा. वि. अधि. क्र. नई दिल्ली में जो पत्र मूल आवेदन सं. 147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र अर्थात् सं. अ. में पत्र आवेदन दि. 15/02/2024 के क्रम में गण्डित कुमेरी के द्वारा, प्रथमतः स्थल खाता स्वतंत्र सं. 00027 सं. 002 क्र. अ. ग्राम- चौदफर, तहसील- कामाकर, जिला- उधमसिंह गार का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

संलग्न निरीक्षण के समय निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हैं:-

क्र.सं.	नाम	पद तथा विभाग	दूरभाष	हस्ताक्षर
1.	श्री. उशंव	कॉन्स्ट्र. के. इंजी. के. के.	9005229172	[Signature]
2.	S. P. Singh		9837088825	[Signature]
3.	लाल जी वर्मा	आर. सं.	9458722973	[Signature]
4.	नरेश गोस्वामी	प्र. नि. ऑडि. सहायक	942130886	[Signature]
5.	सन्दीप गिर	उप स. व. जलपुर	992796546	[Signature]
6.	अरुण कुमार	स. उप. निरीक्षण सहायक	9758592893	[Signature]
7.	निर्मला मनाला	वा. उप. निरीक्षण विभाग	9760045023	[Signature]
8.	काशी भट्ट	ज्य. अभि. उपाय	8630075784	[Signature]
9.	सुनील कुमार	सहायक अभि. सहायक	9410310553	[Signature]
10.	हरदीप शर्मा	विभागाध्यक्ष	7500220139	[Signature]
11.	व्यक्तिगत		8859788888	[Signature]
12.	श. सं. ए. को. देवी S.H.O. इ. धान		7983882441	[Signature]

16/4/24
16-4-2024

आज दिनांक 10/5/24 को मा. राष्ट्रीय हरित अविकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं-147/2024 श्री हरदीप शर्मा नाम रमेशचन्द्र आर्य एवं अन्य के क्रम में गठित कृषि के द्वारा प्रशमन स्थल यात्रा यतीनी सं-00027 एवं 00125 ग्राम-चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-उधमसींहनगर का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हैं।

क्रम सं०	नाम	पद/विभाग	दूरभाष	हस्ताक्षर
①	अजय प्रताप सिंह	SOM	9598314584	
②			9907962546	
③	रमदीप गिरि	उप.क.क (जं), क.प.क		
④	नरेश गजबानी	उप.क.क		
⑤	हरदीप शर्मा	शिकायतकर्ता	7500220139	
⑥	रमेश एल. कोटेली	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	7983832441	
⑦	गोपाल शर्मा	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	9511199710	
⑧	Siddhant Singh		9837088825	
⑨	अरुण कुमार	रा.अ.मि (राजक.विभा.)	9758592093	
⑩	पुनर्वर्मा	श.नि. कार्यालय	8218576937	
⑪	अमरा कु. वर्मन	अनु. सहा. UKPCB	8071320340	

आज दिनांक 08/05/24 को मां. रा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं. 147/2024 की हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य एवं अन्य के क्रम में गठित कमेटी के द्वारा प्रशनगत स्थल धारा खतीनी सं. 00027/00125 धराम - याँदपुर, तहसील - काशीपुर, जिला - उधमसिंहनगर का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हैं :-

क्रम सं.	नाम	पद/विभाग	दूरभाष	हस्ताक्षर
1.	एस.एल. कोहली	जे.ए. उद्यान निरीक्षक	7983832441	
2.	पू. लाल	सहायक निरीक्षक	8218570997	
3.	अशोक कुमार	रा. उप. नि. राजप.	9750592893	
4.	शोभा लक्ष्मी	S.H.I. उद्यान	9411199710	
5.	प्रदीप शर्मा	नि. नि. प्र. निरीक्षक	9612130888	
6.	सन्दीप शर्मा	उप. प्र. क. (नि.) वन विभाग	9927962546	
7.	अकाश वर्मा	(अनु. सहा.) म. क. सी. सी. टी.	807320340	
8.	कौशल कुमार	वर देवता कर्मचारी	9999816304	
9.	Siddhant	कालीपुर	9837000025	
10.	सुनील		9759274742	
11.	हरदीप शर्मा	विकीपत मंत्री	800220139	

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

3 Pages 1 of 14

डोम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परगना : चौदपुर(काशीपुर)

तहसील : काशीपुर

जनपद : उधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 पान : 1


1-पृथ्वी को सर्वेक्षण अधिकार वाले भूमिधारियों के अधिकारों को

खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवात स्थान — 2 —	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के पहले खाते की बसरा संख्या — 4 —	खतेक खाते का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय भागनुसारी या खमान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी खता या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक उचित और खता देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
00027	उमेश कुमार/इन्दरदेव/निवात	1389/1389/1389/1389/1389/1389	146/149/150/154/155/156/157	1.1170/0.0120/1.0880/0.2630/0.0770/0.9470/1.7850	65.35	1428फा0 प्रार्थी उमेश कुमार पुत्र इन्दरदेव नि0 ग्राम चौदपुर के0 प्रार्थना पत्र पर श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी काशीपुर के आदेश दिनांक 17.10.2020 एवं तहसीलदार काशीपुर के आदेश दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन में ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के पूर्व खाता खतौनी संख्या 25 के बसरा नं0 150 रकबा 1.088हे0 भूमि को श्रीमान उपजिलाधिकार महोदय काशीपुर के राजस्व वाद संख्या 22/568(2011-12) आदेश दिनांक 28.08.12 के तहत अकृषिक घोषित है जिसका परबताना जमलदरामद भी प्राप्त हो चुका है जिसका तत्कालीन राबिड्यार कानूनगो द्वारा आर0 6 वर्ष 2011-12 के 2/174 पर दर्ज किया जा चुका है परन्तु उक्त आर0 6 वर्षमान में एन0एच0 74 कि जॉब के सम्बन्ध में डबल लॉक विद्या कार्यालय में बन्द है उक्त आदेश को संयुक्त मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी काशीपुर के आदेश दिनांक 27.10.2020 एवं तहसीलदार काशीपुर के आदेश दिनांक 02.11.2020 के अनुसार ग्राम चौदपुर के वर्तमान खाता खतौनी संख्या 26 में अंकित किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है - न्या0बसि0कले0 प्रथम बेगी/ उपजिलाधिकारी काशीपुर राजस्व वाद संख्या 22/586 वर्ष 2011-12 प्रार्थी श्री उमेश कुमार पुत्र इन्दरदेव निवासी ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर जन्म विषयी उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत धारा 143 (उत्तराखण्ड) (30अ0 जमी0 वि0 एवं भू0 सु ुधार बसि0 1950) (अनु0कूलन एवं उपरान्तरण) बसि0 2001 आदेश दिनांक 28.08.2012 के अनुसार ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के खाता संख्या 25 के बसरा नं0 150 रकबा 1.088हे0 ल0 25.00रू0 भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 143 के तहत अकृषिक भूमि दर्ज अखिलेख हो तथा लयान से मुक्त किया जाये हु0आर0के0 04.11.2020 /06.07.2021 1429फा0 राजस्व वाद सं0 30/7470 वर्ष (2020-21) न्या0तह0काशीपुर के आदेश दिनांक 14.01.2022 के अनुसार ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर के खाता सं0 27 के बसरा नं0 146 रकबा 1.1170हे0 149 रकबा 0.120हे0 150 रकबा 1.0880हे0 154 रकबा 0.2630हे0 155 रकबा 0.770हे0 156 रकबा 0.947हे0 एवं 157 रकबा 1.7850हे0 कुल 5.289हे0 लगानी 65.35रू0 से एवं खाता सं0 144 में बसरा नं0 59/3नि0 रकबा 0.376हे0 एवं 159नि0 रकबा 0.623हे0 कुल रकबा 0.999हे0 लगानी 24.70रू0 से प्रतिवारी स्म0 उमेश कुमार पुत्र इन्दरदेव गुप्ता नि0 ग्राम का नाम खारिज कर बायीमज सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता नि0 31ए अशोक आबन्धू सैनिक फार्मस खानपुर दक्षिण	नेनी0 बैंक लि0 काशीपुर के पत्र नि0 09.08.12 के अनु0 खातेदार उमेश कुमार गुप्ता ने अपनी भूमि सु0 20,00,000/-रू0 में बचक रखी हु0आर0के0 23.08.12 दि 11नीदान बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000243021 दिनांक 24.06.2021 के अनुसार खातेदार उमेश कुमार गुप्ता द्वारा लिया गया ऋण सु0 20,00,000/-रू0 बदा कर दिया हु0आर0के0 22.07.2021





उद्धरण खतौनी (शासकीय)

घाटा खतौनी क्रम संख्या — 1 —	घाटेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ विवाह स्थान — 2 —	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	घाटे के प्रत्येक गटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	घाटेदार द्वारा देय मासबुजारी या ममान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञात या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञात होने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>दिल्ली मनीष गुप्ता पुत्र स्व० नरेश कुमार गुप्ता एवं नरुज कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता नि० बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर विरासतन उसी बर्ग में दर्ज हो ह०आर०के० दिनांक 17.01.2022/31.01.2022 1429फ० राजस्व बाद सं० 30/7197 बर्ग (2021-22) न्या०तह०का० आ०दिनांक 06.08.2022 ख०न० 157फि० रकबा 0.595६० न० 14.70रू० से नरुज कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता का नाम कारिज कर सुरधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue, सैनिक फार्मस बानपुर साउथ दिल्ली ब मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क सं०के के भूमिधरी में दर्ज हो ह०आर०के० दिनांक 18.08.2021/21.10.2022 1429फ० राजस्व बाद सं० 30/7196 बर्ग (2021-22) न्या०तह०का० आ०दिनांक 06.08.2022 ख०न० 146फि० रकबा 0.7447६० ब ख०न० 154फि० रकबा 0.1753६० ब ख०न० 155फि० रकबा 0.0513६० कुल रकबा 0.9713 न० 24.00रू० से सुरधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue, सैनिक फार्मस बानपुर साउथ दिल्ली ब मनीष गुप्ता पुत्र स्व० नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम कारिज कर नरुज गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क सं०के के भूमिधरी में दर्ज हो ह०आर०के० दिनांक 18.08.2021/21.10.2022 1429फ० राजस्व बाद सं० 30/7198 बर्ग (2021-22) न्या०तह०का० आ० दिनांक 06.08.2022 के अनुसार खाता सं० 27 ख०न० 156फि० रकबा 0.3156६० न० 7.80रू० से नरुज कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम कारिज कर सुरधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue सैनिक फार्मस बानपुर साउथ दिल्ली ब मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँवपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम दानपत्र द्वारा बर्ग 1 क सं०के भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के० दिनांक 23.08.2022/21.10.2022 1430फ० बाद सं० 30/7240 बर्ग (2021-22) न्या०तह०का० के आ०दिनांक 10.10.2022 के अनुसार ग्राम बाँवपुर तह०काशीपुर के खाता सं० 00027 के बसरा न० 157फि० रकबा 1.7850६० न० 44.10रू० से सुरधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता नि० 31-ए बसोका एकेन्डू सैनिक फार्मस बानपुर दक्षिणी दिल्ली एवं मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता नि० ग्राम</p>	

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 3 of 14

खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता यदि संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	नौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक ग्राटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक ग्राटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देन रासमुजारी या कमान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका कारण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>चांदपुर गोपीपुर तहसील काशीपुर जिला उमम सिंह नगर का नाम बारिज कर सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल नि० कलकत्ता मंडप रोड काशीपुर काठेमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल नि० रामनगर रोड काशीपुर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ नि० रामनगर रोड काशीपुर एवं सचिन प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल नि० निवास नगर काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ष में दर्ज हो हुआ है दिनांक 10.10.2022/21.01.2023</p> <p>1430फा० बाद सं० 30/7241 वर्ष (2021-22) न्यायतहसील के आ०दिनांक 10.10.2022 के अनुसार ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर के खाता सं० 00027 के बसरा नं० 156नि० रकबा 0.947हे० ल० 23.40रू से सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुप्ता नि० 31-ए बगोका एनेन्सू वैदिक फार्मस खानपुर दक्षिणी दिल्ली एवं मनीष गुप्ता पुत्र नरेज कुमार गुप्ता नि० ग्राम चांदपुर गोपीपुर तहसील काशीपुर का नाम बारिज कर सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल नि० कलकत्ता मंडप रोड काशीपुर काठेमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल नि० रामनगर रोड काशीपुर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ नि० रामनगर रोड काशीपुर एवं सचिन प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल नि० निवास नगर काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ष में दर्ज हो हुआ है दिनांक 10.10.2022/21.01.2023</p> <p>1430फा० बाद सं० 30/8588 वर्ष (2021-22) न्यायतहसील के आ०दि० 31.03.2023 के अनुसार बसरा नं० 157नि० रकबा 0.017हे० ल० 0.40रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम बारिज कर मनीषा रावत पत्नी हरीश सिंह रावत पुत्री मनबर सिंह निवासी वैदिक कानोनी ग्राम नीमडा काशीपुर जिला उमम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं० 06/19.05.2023</p> <p>1430फा० बाद सं० 30/8664 वर्ष (2021-22) न्यायतहसील के आ०दि० 06.04.2023 के अनुसार बसरा नं० 157नि० रकबा 0.027हे० ल० 0.65रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम बारिज कर हीरा सिंह पुत्र स्व० जय सिंह निवासी ग्राम मल्लवीली तहसील स्यानेद जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं० 06/19.05.2023</p> <p>1430फा० बाद सं० 30/2783 वर्ष (2022-23) न्यायतहसील के आ०दि० 06.04.2023 के अनुसार बसरा नं० 157नि० रकबा 0.062हे० ल० 1.55रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम बारिज कर जगता सिंह पुत्र बलबल सिंह निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर जिला</p>	



3/1/23

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 4 of 14

खाना खतीनी क्रम संख्या — 1 —	आवेदक का नाम / पिता यदि संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	नैतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	आवे के प्रत्येक साठे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक साठे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	आवेदक द्वारा देव शालभुजारी का सनाम — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका कारण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 18.04.2023/19.05.2023 1430*0 बाद सं0 30/9563 वर्ष (2021-22) न्वा0तह0का0 आ0दि0 06.04.2023 के अनुसार बसरा नं0 157भि0 रक्बा 0.012है0 स0 0.30*0 से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम धारित कर हेमसगा पत्नी दिलेश कुमार बर्मा निवासी 367 निबर सिव अन्दिर कुमाऊ कालोनी काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग वि0मे0 में दर्ज किया जाये ह0आर0के0दि0 18.04.2023/19.05.2023 1430*0 बाद सं0 30/9565 वर्ष (2021-22) न्वा0तह0का0 आ0दि0 06.04.2023 के अनुसार बसरा नं0 157भि0 रक्बा 0.016है0 स0 0.40*0 से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम धारित कर महावीरी पत्नी विजयपाल निवासी 280 हजसपुर विद्याल जिला हापड़ गाबिवावार का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग वि0मे0 में दर्ज किया जाये ह0आर0के0दि0 18.04.2023/19.05.2023 1430*0 बाद सं0 30/8617 वर्ष (2021-22) न्वा0तह0का0 आ0दि0 29.04.2023 के अनुसार बसरा नं0 157भि0 रक्बा 0.028है0 स0 0.70*0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 पूत प्रकाश अग्रवाल का नाम धारित कर मोहित शर्मा पुत्र प्रमोद चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम खनीरी पट्टी गौशाला मोड़ तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 02.05.2023/19.05.2023 1430*0 बाद सं0 30/8616 वर्ष (2022-23) न्वा0तह0का0 आ0दि0 29.04.2023 के अनुसार बसरा नं0 157भि0 रक्बा 0.009है0 स0 0.25*0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 पूत प्रकाश अग्रवाल का नाम धारित कर कुमारी उपासना पुत्री प्रमोद चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम खनीरी पट्टी गौशाला मोड़ तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 02.05.2023/19.05.2023 13.06.2023 के अनुसार एवं कार्यालय पत्र सं0 3000 आ0दि0 25.05.2023 के अनुसार ग्राम बाँदपुर के बाठा सं0 27 में दर्ज बाद सं0 30/2783 वर्ष (2022-23) न्वा0तह0का0 आ0दि0 06.04.2023 के अनुसार बसरा नं0 157भि0 रक्बा 0.062है0 स0 1.55*0 से केता जगता सिंह पुत्र बसवन्त सिंह के स्थान पर नामांतरण नहीं के अनुसार केता का सही नाम जगतार सिंह पुत्र बसवन्त सिंह शुद्ध कर हो ह0आर0के0 दि0</p>	



शुद्ध नाम
3/8

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 5 of 14

आवेदक की क्रम संख्या — 1 —	आवेदक का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	जीमिक अधिकार आरम्भ होने का वर्ष — 3 —	आवेदक के प्रत्येक घाटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक घाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	आवेदक द्वारा देय आमनुबारी या स्थान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञात या उसका कारण उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञात देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>18.04.2023/14.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/1896 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0 01.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 157मि0 रकबा 0.011है0 ल0 0.25रू0 से अधिक प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम आरिज कर मनोज कुमार शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी बी 43 इन्कमटेक्स कालोनी निबर एण0एम0टी0 बाब फैक्ट्री जवाहरली बैंगलोर कर्नाटक 560013 का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग बि0मे0 में दर्ज हो ह0आर0के0रि0 08.05.2023/19.05.2023 1430फ0 बाद सं0 30/246 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0 01.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 157मि0 रकबा 0.018है0 ल0 0.45रू0 से अधिक प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम आरिज कर सुखमलाल पुत्र सुखरत निवासी आर0टी0एल0हेमपुर बीहाला पाण्डेय कॉलोनी गोपीपुर आर0टी0एम0तहलील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग बि0मे0 में दर्ज हो ह0आर0के0रि0 09.05.2023/19.05.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4362 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0 31.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 157मि0 रकबा 0.019है0 ल0 0.50रू0 से अधिक प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम आरिज कर बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम वैरड उहलीस रानीबेल जिला बल्लोटा का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0रि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4363 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0 31.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 157मि0 रकबा 0.023है0 ल0 0.60रू0 से अधिक प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम आरिज कर ज्योति बिष्ट पत्नी दीपक सिंह बिष्ट पुत्री दिवाकर सिंह निवासी ग्राम कुम्हेंबरी उहलीस काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0रि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4495 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0 06.06.2023 के अनुसार बसरा सं0 157मि0 रकबा 0.029है0 ल0 0.70रू0 से सुन्दर कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम आरिज कर सुन्दर कुमार आर्वा पुत्र जयवीर प्रसाद निवासी निबर जियो टावर बीछ बिहार कालोनी बोर पानी रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0रि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4496 वर्ष (2022-23) न्या0तह0पेना आ0रि0</p>	



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

खता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	बाड़ेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	बीमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	बाड़े के प्रत्येक माटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक माटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	बाड़ेदार द्वारा देय मासबुधारी या मसान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी खता या उसका कारांस उनकी संख्या तथा विनोद सहित और खता देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	दिप्पती — 13 —
						<p>06.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.019हे० ल० 0.45ए० से सुरेन्द्र कुमार बड़वाल पुत्र बमरनाथ का नाम बारिज कर मोहन सिंह मसान पुत्र श्रीमान सिंह नवास ब अतीसा नवास पत्नी मोहन सिंह नवाल निवासी र 32 आनन्द विहार हाटमैन पुलिया बरेली का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक०मूमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि०</p> <p>09.06.2023/28.06.2023</p> <p>1430फ० बा० सं० 30/4560 बर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पै०या मा०दि०</p> <p>07.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.019हे० ल० 0.45ए० से का०मल बड़वाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार बड़वाल का नाम बारिज कर सुरेन्द्र उनिवास पुत्र सत्येन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम कैलाशपुर उ०के उपग्राम तहसील बूसाकोट जिला पी०बी गढ़वाल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक०मूमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 09.06.2023/28.06.2023</p> <p>1430फ० बा० सं० 30/4275 बर्ष (2022-23) न्या०मह०का० मा०दि०</p> <p>29.05.2023 के अनुसार बसरा नं० 145मि० रकबा 0.200हे० ल० 4.94हे० नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता ब राजेश गुप्ता पत्नी स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासीग्राम ग्राम बाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर ब बाता सं० 00027 के बसरा नं० 146मि० रकबा 0.260हे० ल० 6.42ए० से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बारिज कर विकास बरेली पुत्र स्व० कल्याण दास निवासी अर०के०पुरम कषताग्रवासी तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक०मूमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 09.06.2023/08.07.2023</p> <p>1430फ० बा० सं० 30/4277 बर्ष (2022-23) न्या०त०ह०का० मा०दि०</p> <p>29.05.2023 के अनुसार बसरा नं० 146मि० रकबा 0.130हे० ल० 3.22हे० नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम बाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर ब बाता सं० 00125 के बसरा नं० 152मि० रकबा 0.131हे० ल० 3.23ए० से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता ब राजेश गुप्ता पत्नी स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासीग्राम ग्राम बाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बारिज कर सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र बड़वाल निवासी बाजपुर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक०मूमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 09.06.2023/06.07.2023</p> <p>1430फ० बा० सं० 30/4556 बर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पै०या मा०दि०</p> <p>07.05.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.052हे० ल०</p>	




उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 7 of 14

खतीनी क्रम संख्या 1	खानदान का नाम / पिता वृत्ति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान 2	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 3	खाते के प्रत्येक खाते की बसरा संख्या 4	प्रत्येक खाते का क्षेत्रफल (हे.) 5	खानदान द्वारा देय नामधुवारी या स्थान 6	परिवर्तन सम्बन्धी खानदान का उक्तका खानदान उनकी संख्या तथा दिनांक तहिल और खानदान देने वाले अधिकारी का पद 7-12	टिप्पणी 13
						<p>1.30रु० से कोमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल का नाम धारिज कर अमित शर्मा पुत्र नरेश चन्द शर्मा निवासी नौ०तिर्वात काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो ह०अ०००००००० 10.07.2023/25.07.2023 1430रु० बाद सं० 30/3125 वर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पेगा अ०दि० 30.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.019रु० ल० 0.50रु० से अगतार सिंह पुत्र बलबन्त सिंह का नाम धारिज कर पत्नी देवी पत्नी कुंवर सिंह निवासी ग्राम कल्याण तन्हा तहसील मैरसिंग जिला बनोली का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो ह०अ०००००००० 10.07.2023/25.07.2023 1430रु० बाद सं० 30/4668 वर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पेगा अ०दि० 30.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.023रु० ल० 0.55रु० से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम धारिज कर गंगा सिंह पुत्र मा०इ०व सिंह निवासी ग्राम सकनवा तहसील भिकिया वीथ जिला बनोली का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो ह०अ०००००००० 10.07.2023/25.07.2023 1430रु० बाद सं० 30/4939 वर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पेगा अ०दि० 23.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.023रु० ल० 0.60रु० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम धारिज कर अग्रवाल विरभकर्मा उर्फ नरवा शर्मा पत्नी मोहित शर्मा पत्नी रुद्रभानु प्रसाद विरभकर्मा निवासी ग्राम धनोरी पट्टी गीवासा मोह काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो ह०अ०००००००० 12.07.2023/25.07.2023 1430रु० बाद सं० 30/4940 वर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पेगा अ०दि० 23.06.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.010रु० ल० 0.25रु० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम धारिज कर सुनीता रावत पत्नी इंदिरा सिंह रावत पत्नी अनवर सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी ग्राम नौबट्टा काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो ह०अ०००००००० 12.07.2023/25.07.2023 1430रु० बाद सं० 30/5890 वर्ष (2022-23) न्या०ना०त०ह०पेगा अ०दि० 22.07.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.054रु० ल० 1.35रु० से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम धारिज कर कल्याण सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम असाही नौ०अनकट तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क सं०००००००० में दर्ज हो</p>	

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 8 of 14

बादा खतीनी क्रम संख्या — 1 —	बादेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	बादे के प्रत्येक माटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक माटे का क्षेत्रफल (है.) — 5 —	बादेदार द्वारा देय मासमुजारी का बंधान — 6 —	परिवर्तन सम्पन्नी आबा या उसका सारक उनकी संख्या तथा दिनांक तहिय और आबा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>हउआरफेओरिओ 24.07.2023/02.08.2023 1430फओ बाद संओ 30/5425 वर्ष (2022-23) न्वाओनाओवहओपैगा आओरिओ 11.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.021हैओ लओ 0.50फओ से भक्ति प्रकाश बघवाल पुत्र स्वओ मूल प्रकाश बघवाल का नाम बारिज कर मुआमिनी कुमार पत्नी विरेन्द्र कुमार निवासी वारा कुन टनकपुर रोड नई बस्ती हनुमानी जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग विओनेओ में दर्ज हो हउआरफेओरिओ 26.07.2023/03.08.2023 1430फओ बाद संओ 30/5546 वर्ष (2022-23) न्वाओनाओवहओपैगा आओरिओ 13.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.187हैओ लओ 4.10फओ से भक्ति प्रकाश बघवाल पुत्र स्वओ मूल प्रकाश बघवाल का नाम बारिज कर साज सारिक बल्क मनहूकल इस्ताम निवासी मीहल्ला मुहम्मदपुरा काशीपुर जिला उषम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 क संकओमूमिओ में दर्ज हो हउआरफेओरिओ 26.07.2023/03.08.2023 1430फओ बाद संओ 30/5547 वर्ष (2022-23) न्वाओनाओवहओपैगा आओरिओ 13.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.187हैओ लओ 4.10फओ से सचिन बघवाल पुत्र अनिल कुमार बघवाल का नाम बारिज कर मनबर सिंह पुत्र सात सिंह निवासी ग्राम रन्पुरा तहसील काशीपुर जिला उषम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 क संकओमूमिओ में दर्ज हो हउआरफेओरिओ 26.07.2023/18.08.2023 1430फओ बाद संओ 30/5240 वर्ष (2022-23) न्वाओतहओफओ आओरिओ 03.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.024हैओ लओ 0.60फओ से सचिन बघवाल पुत्र अनिल कुमार बघवाल का नाम बारिज कर संदीप कुमार पुत्र मुबराय निवासी बालिका विद्यामंदिर सन्धीवाल जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग विओनेओ में दर्ज हो हउआरफेओरिओ 26.07.2023/18.08.2023 1431फओ बाद संओ 30/4658 वर्ष (2022-23) न्वाओनाओवहओपैगा आओरिओ 31.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.025हैओ लओ 0.65फओ से अमित शर्मा पुत्र नरेश कन्द शर्मा का नाम बारिज कर अजुंद कुमार पुत्र तेजराय सिंह निवासी ईसापुर हिसारी अमिनाबाद सारिक मुराबाबाद उषओ का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग विओनेओ के मूमिओ में दर्ज हो हउआरफेओरिओ 05.08.2023/19.08.2023 1431फओ बाद संओ 30/6190 वर्ष (2022-23) न्वाओनाओवहओपैगा आओरिओ 31.07.2023 के अनुसार बसरा नओ 157मिओ रकबा 0.021हैओ लओ 0.45फओ से मनबर सिंह पुत्र सात सिंह का नाम बारिज कर ब्रजपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम चिल्किबा तहसील रामनगर जिला नैनीताल का</p>	



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 9 of 14

खारा खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खारेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ विवाह स्थान — 2 —	नौतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	खारे के प्रत्येक खटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक खटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खारेदार द्वारा देव नामधारी का स्थान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी खारा या उसका खारोंस उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और खारा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संख0पू0मि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 17.08.2023/22.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/5788 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 20.07.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.010है0 स0 0.25ह0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर कुलीया देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बैनीपुरा मूल्का तहसील रामनगर जिला मनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 य वि0मे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/4626 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा के संशोधन अदेश दिनांक 16.08.2023 के आधार पर ग्राम चांदपुर के खारा सं0 27 के बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.051है0 स0 1.30ह0 से तक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल निवासी मी0काजीबाग तह0कासीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर दिव्यांसू सचदेवा य सुमित सचदेवा पुत्रशम अरवली कुमार सचदेवा निवासीराय मी0फदोराताल कासीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम वर्ष 1 क संख0पू0मि0 में दर्ज किया जाने सेब अदेश यथावत रहेगे दर्ज अभिलेख हारे ह0आर0के0दि0 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6053 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 28.07.2023 के अनुसार बसरा नं0 146मि0 रकबा 0.014है0 स0 0.35ह0 से विकास बरोरा पुत्र स्व0 कुन्दन लाल का नाम खारिज कर सावना कुमारी पत्नी सुब्रह्मण्य कुमार मि0 31 तबनामवि अपार्टमेंट बसुन्धरा एन्क्लेव ईस्ट दिल्ली का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 य वि0मे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/5823 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 03.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.017है0 स0 0.40ह0 से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर रोहित कुमार पुत्र बिजय विखी मि0 44ए न्यू नेवीनगर कुसावा मिसिटी स्टेजान कुसावा मुम्बई 400005 का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 य वि0मे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 23.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6668 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 16.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.030है0 स0 0.75ह0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर श्रीवा विष्ट पत्नी रविन्द्र पास सिंह निवासी ग्राम चांदपुर तहसील कासीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संख0पू0मि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p>	





उद्धरण खतौनी (शासकीय)

Pages 10 of 14

भाषा खतौनी क्रम संख्या — 1 —	बातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	जीविक भविका शरम्भ होने का वर्ष — 3 —	बाते के प्रत्येक माटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक माटे का क्षेत्रफल (हि.) — 5 —	बातेदार द्वारा देव सातनुवारी का सनाम — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञाना वा उत्तरा साराह उनकी संख्या तथा दिनांक तहिय और ज्ञाना देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>1431फ0 बाव सं0 30/6747 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैना जा0दि0 17.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.010है0 ल0 0.25रू0 से मनबर सिंह पुत्र मात सिंह का नाम बारिज कर कुमा पत्नी रामचन्द्र निवासी चौहल्ला मन्तरा बख्त बाजपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0ने0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाव सं0 30/6748 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैना जा0दि0 17.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.018है0 ल0 0.40रू0 से मनबर सिंह पुत्र मात सिंह का नाम बारिज कर राजेन्द्र सिंह जेनी पुत्र गोविन्द सिंह जेनी निवासी मकान नं0 55 बर्त फ्लोर सेक्टर 21 रोहिणी बेगमपुर नोर्क वेस्ट दिल्ली का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0ने0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाव सं0 30/6849 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैना जा0दि0 19.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.012है0 ल0 0.30रू0 से माजभारिक बन्द मजहूरुम इस्लाम का नाम बारिज कर रोसानी सफेना पत्नी खडि बीबासब निवासी बुढी बिहार जबास विकास सुरादाबाब का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0ने0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाव सं0 30/6221 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के जा0दि0 04.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.019है0 ल0 0.45रू0 से माज बारिक बन्द मजहूरुम इस्लाम का नाम बारिज कर माया देवी पत्नी पुरन चंद नि0शाम दन्डूडा तह0भिकियासेन जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संरू0मूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाव सं0 30/5821 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के जा0दि0 05.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.011है0 ल0 0.27रू0 से मनबर सिंह पुत्र मात सिंह का नाम बारिज कर कुमारी अजिता पुत्री संरेश चन्द्र पाण्डेय नि0शामोहै तह0रामनगर जिला मैनीठाल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संरू0मूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाव सं0 30/5822 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 जा0दि0 05.08.2023 के अनुसार बसरा नं0 157मि0 रकबा 0.015है0 ल0 0.40रू0 से मनबर सिंह पुत्र मात सिंह का नाम बारिज कर सत्रा कुमारी पत्नी तरुण कुमार पाल ति0 श्री0.टांडा उज्जैन काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0ने0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0</p>	





उद्धरण खतौनी (शासकीय)

बायो बायोमी क्र. संख्या — 1 —	बायोबायो का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ विभाग स्थान — 2 —	बीजिक अधिकार प्राप्ति होने का वर्ष — 3 —	बायो के प्रत्येक बायो की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक बायो का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	बायोबायो द्वारा देय मानवुवारी का समान — 6 —	परिचरित सम्बन्धी बायो का उसका बायोबायो उनकी संख्या तथा विनोद सहित और बायो देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	दिप्पनी — 13 —
						24.08.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/5702 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 05.08.2023 के अनुसार बासरा नं0 157मि0 रकबा 0.014हे0 ल0 0.35रू0 से मनबर सिंह पुत्र मान सिंह का नाम बायोबायो कर मान सिंह पुत्र बने सिंह नि0बायो बायोबायो बांघ दह0बीबीसीय विभा पीडी गडबास का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संरू0मि0 में दर्ज हो ह0अर0के0रि0 24.08.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/6990 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 24.08.2023 के अनुसार बासरा नं0 157मि0 रकबा 0.021हे0 ल0 0.50रू0 से मनबर सिंह पुत्र मान सिंह का नाम बायोबायो कर बबिवा रावत पत्नी लखन सिंह रावत निवासी 149 प्रियदर्नी इन्ड्लेय अलीबासा पीक कोचली देहरादून क नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0मे0 में दर्ज हो ह0अर0के0रि0 04.09.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/7329 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 01.09.2023 के अनुसार बासरा नं0 146मि0 रकबा 0.014हे0 ल0 0.35रू0 से सिध्दान्त गोबल पुत्र रायचन्द अग्रवाल का नाम बायोबायो कर बबल पत्नी महेश विवासी भयवतीपुर रोहतक हरियाणा का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0मे0 में दर्ज हो ह0अर0के0रि0 11.09.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/7172 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 28.08.2023 के अनुसार बासरा नं0 157मि0 रकबा 0.008हे0 ल0 0.20रू0 से मनबर सिंह पुत्र मान सिंह का नाम बायोबायो कर लीला देवी पत्नी अमर सिंह निवासी ग्राम सुंदरी सैमनापुर तहसील चिकियाहीन जिला अम्बोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संरू0मि0 में दर्ज हो ह0अर0के0रि0 11.09.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/6823 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 19.08.2023 के अनुसार बासरा नं0 157मि0 रकबा 0.021हे0 ल0 0.50रू0 से माज बायोबायो बबल बबल इस्लाम का नाम बायोबायो कर शिल्पी सिंह पत्नी संदीप कुमार नि0टासा रोड पानी की टंकी ग्राम भारतल सिरली तह0मि0 सम्मल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 ग नि0मे0 में दर्ज हो ह0अर0के0रि0 11.09.2023/21.09.2023 1431फ0 बायो सं0 30/6928 वर्ष (2022-23) न्यायतह0का0 अ0रि0 23.08.2023 के अनुसार बासरा नं0 157मि0 रकबा 0.021हे0 ल0 0.50रू0 से माज बायोबायो बबल बबल इस्लाम का नाम बायोबायो कर राजकुमार भट्ट पुत्र बुवाल मती भट्ट नि0डीचर्न कौतोनी कानीपुर जिला	





उद्घरण खतीनी (शासकीय)

खतीनी क्रम संख्या 1	खतियार का नाम / सिद्धा वृत्ति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान 2	श्रीमिक नसिहार प्रारम्भ होने का वर्ष 3	खतिये के प्रत्येक नाटे की बसरा संख्या 4	प्रत्येक नाटे का क्षेत्रफल (हे.) 5	खतियार द्वारा देय मासदुबारी का सभाम 6	परिवर्तन सम्बन्धी बच्चा का उसका सारोह उनकी संख्या तथा विनिक तहिये और अच्चा देवे वाले खतियारी का पद 7-12	टिप्पणी 13
						<p>उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र०पू०मि० में दर्ज हो ह०अ०र०के०मि० 14.09.2023/21.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/7597 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा अ०मि० 08.09.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.015०० स० 0.35०० से मात्र शारिक बन्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर शही रायत पत्नी पदमेन्दर सिंह रायत निवासी बालू मन्तानीपुर बुन्ने तह०प०रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 म वि०मि० में दर्ज हो ह०अ०र०के०मि० 23.09.2023/26.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/7457 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा अ०मि० 04.09.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.014०० स० 0.35०० से मनबर सिंह पुत्र साल सिंह का नाम खारिज कर नोशास सिंह पुत्र बच्चे सिंह निवासी ग्राम बन्तरी पट्टी तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र०पू०मि० में दर्ज हो ह०अ०र०के०मि० 23.09.2023/26.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/4959 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा के अ०मि० 30.08.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.014०० स० 0.35०० से जमित शर्मा पुत्र नरेन बन्ध शर्मा का नाम खारिज कर बेधेन सिंह पुत्र छोटे सिंह नि०ग्राम मन्त बिरला पीरूमदारा तह०प०रामनगर जि०नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 म वि०मि० में दर्ज ह० ह०अ०र०के०मि० 29.09.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8096 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा अ०मि० 29.09.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.013०० स० 0.30०० से मात्र शारिक बन्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर राजेन् सिंह पुत्र मदान सिंह पुत्र राम सिंह निवासी नैनी कालोनी चोरपानी रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र०पू०मि० में दर्ज हो ह०अ०र०के०मि० 11.10.2023/17.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7674 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा अ०मि० 12.09.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.011०० स० 0.25०० से मात्र शारिक बन्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर प्रेम सिंह पुत्र राजेन् सिंह निवासी ग्राम हुलाह तहसील गैरसैन जिला चम्पेसी का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र०पू०मि० में दर्ज हो ह०अ०र०के०मि० 11.10.2023/25.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8254 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०त०ह०पै०गा अ०मि० 04.10.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.010०० स० 0.25०० से मात्र शारिक बन्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर</p>	




उद्धरण खतौनी (शासकीय)

Pages 13 of 14

बादा खतौनी क्रम संख्या — 1 —	बादेदार का नाम / पिता यदि संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	नौतिक अधिकार शरम्ह होने का वर्ष — 3 —	बादे के प्रत्येक नाटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक नाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	बादेदार द्वारा देय मासपुजारी का समान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी कक्षा या उसका सारांश जनकी संख्या तथा दिनांक सहित और कक्षा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>प्रकाश सिंह रावत पुत्र मोहन सिंह पुत्र जयन सिंह निवासी ग्राम बसपरा तहसील त्वानदे जिला अम्बोडा का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 क संक्र०प्रमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 16.10.2023/25.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8495 बर्न (2022-23) न्वा०तह०का० अ०दि० 26.10.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.010है० ल० 0.25रू० से माजशारिक बल्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर चुका कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह मुसई निवासी शक्ति-बिहार नौमडा तहसील कामीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग वि०के० में दर्ज किया जाने ह०अर०के०दि० 31.10.2023/17.11.2023 1431फ० बाद सं० 30/8352 बर्न (2022-23) न्वा०तह०का० अ०दि० 16.11.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.019है० ल० 0.50रू० से माज शारिक बल्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर अनीला रावत पत्नी रोशन निवासी 174/1 पर्यतीय कालोनी 2, निबर मिथ मन्दिर फरीदाबाद सेक्टर 22 फरीदाबाद हरियाणा का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 क संक्र०प्रमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 29.11.2023/18.12.2023 1431फ० बाद सं० 30/8355 बर्न (2022-23) न्वा०तह०का० के अ०दि० 30.11.2023 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.012है० ल० 0.30रू० से मनबर सिंह पुत्र माल सिंह का नाम खारिज कर चुकती पत्नी खानखं वि०का० प्रवापपुर तह०कामीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग वि०के० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 18.12.2023/15.01.2024 1431फ० बाद सं० 30/1710 बर्न (2023-24) न्वा०तह०का० के अ०दि० 19.01.2024 के अनुसार बसरा नं० 157मि० रकबा 0.024है० ल० 0.55रू० से मनबर सिंह पुत्र माल सिंह का नाम खारिज कर चुकती रावत पत्नी मोबिन्द सिंह निवासी ग्राम पीरुमदारा तह०रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 ग वि०के० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 15.02.2024/06.02.2024 1431फ० बाद सं० 30/8720 बर्न (2022-23) न्वा०तह०का० के अ०दि० 25.01.2024 के अनुसार बसरा नं० 146मि० रकबा 0.018है० ल० 0.45रू० से सिधान्त गोबल पुत्र रामचन्द्र बगवास का नाम खारिज कर मिरीम जन्म जोशी पुत्र प्रकली बल्द जोशी निवासी आई हस्पिटल रोड जिल्हा पर्यतीय समाज कुपचिबत कॉलोनी कामीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्न 1 क संक्र०प्रमि० में दर्ज हो ह०अर०के०दि० 15.02.2024/06.03.2024</p>	




उद्घरण खतीनी (शासकीय)

Pages 14 of 14

बावेदा खतीनी क्रम संख्या — 1 —	बावेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	कीमतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	बावेदार द्वारा देय मामलतुजारी वा सवान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी खसरा वा उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक उद्घरण और खसरा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
			7	5.2890			

कुल गाटे: सात कुल क्षेत्रफल: पाँच दशमलव दो आठ नौ कुल भू-राजस्व: छ: पाँच दशमलव तीन पाँच

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सहस्रम अधिकारी : TEHSILDAR

उद्घसीम : काशीपुर

दिनांक एवं समय : 14-05-2024



यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रोनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



उद्धारण खतीनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परपना : चौधपुर(काशीपुर)

तहसील : काशीपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 पात्र : 1

1-पट्टी को सर्वेक्षण अधिकार वाले भूमिधारों के अधिकारों हेतु

आदात खतीनी क्रम संख्या — 1 —	आदेदार का नाम / पिता यदि संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	बीमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	आदे के प्रत्येक आदे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक आदे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	आदेदार द्वारा देय मासपुचारी या समय — 6 —	परिपत्तिन सम्बन्धी अन्ना या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अन्ना देने वाले अधिकारों का पत्र — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
00125	महेस कुमार/रमेश देव/वि. ग्राम नकुल कुमार/महेस कुमार/वि. ग्राम	1413कड	146मि0 147मि0 152मि0 153/1मि0 158	1.2380 0.1820 1.2830 1.4810 0.1940	107.20	1426कड राजस्व निरीक्षक काशीपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रपत्र प क्र 11क के क्रमांक 139 पर पारित अदेश दिनांक 03.07.2021 के अनुसार ग्राम चौधपुर के आदात सं0 124, 126 एवं 128 पर प्रत्येक आदेदार महेस कुमार पुत्र दन्त देव के स्थान पर उनके हकीकी बारीत राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेस कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेस कुमार मि0 ग्राम के नाम अतीर विरासतन बनें हो ह0आर0के0 मि0 13.07.2021/31.08.2021 (1429कड) राजस्व बाब सं0 30/7242 वर्ष (2021-22) स्वा0तह0काशीपुर सं0 मि0 08.08.2022 के अनुसार बसरा सं0 156मि0 रकबा 0.194हे0 सं0 4.79कड से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेस कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चौधपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेस कुमार गुप्ता निवासी C-6/12.3 floor model Town 3 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 110009 का नाम बारिज कर दक्षिण अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल निवासी फसल अग्रहण रोड काशीपुर व कोयल अग्रवाल पुत्र सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी रामनगर रोड काशीपुर व सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र अग्रवाल निवासी रामनगर रोड काशीपुर व हाकिम विकास अग्रवाल पुत्र स्व0 महेस कुमार अग्रवाल निवासी रामनगर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर् 1क संक0 भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0 मि0 23.08.2020/21.10.2021 1430कड बाब सं0 30/4279 वर्ष (2022-23) स्वा0तह0का0 के आ0मि0 29.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 145मि0 रकबा 0.142हे0 व बसरा सं0 147मि0 रकबा 0.0455हे0 व बसरा सं0 152मि0 रकबा 0.283हे0 व बसरा सं0 153/1मि0 रकबा 0.36525हे0 कुल रकबा 0.83575हे0 सं0 20.85कड से राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेस कुमार गुप्ता मि0ग्राम चौधपुर,गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बारिज कर नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेस कुमार गुप्ता मि0ग्राम चौधपुर,गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम दानपत्र द्वारा बर् 1 क संक0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0मि0 09.06.2023/08.07.2023 1430कड बाब सं0 30/4275 वर्ष (2022-23) स्वा0तह0का0 आ0मि0 29.05.2023 के अनुसार बसरा सं0 145मि0 रकबा 0.200हे0 सं0 4.94हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेस कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेस कुमार गुप्ता निवासीग्राम चौधपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व आदात सं0 00027 के बसरा सं0 146मि0 रकबा 0.280हे0 सं0 6.42कड से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेस कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चौधपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बारिज कर विकास अतीर पुत्र स्व0 कुन्तल नाम	नेनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र मि0 15.02.13 के अनुसार आदेदार महेस कुमार ने अपनी भूमि को सु0 9,80,000/-रु0में बचक रबी ह0आर0के0 16.02.13 नेनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र मि0 15.02.13 के अनुसार आदेदार नकुल कुमार ने अपनी भूमि को सु0 8,80,000/-रु0में बचक रबी ह0आर0के0 16.02.13 नेनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000253721 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार आदेदार महेस कुमार द्वारा लिखा गया ऋण सु0 9,80,000/-रु0 में बचक रबी ह0आर0के0 10.08.2021 नेनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000260821 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार आदेदार नकुल कुमार गुप्ता द्वारा लिखा गया ऋण सु0 8,80,000/-रु0 में बसा कर दिया ह0आर0के0 08.09.2021 पूर्व दर्ज टिप्पणी नेनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000253721 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार आदेदार महेस कुमार द्वारा लिखा गया ऋण सु0 9,80,000/-रु0 में बचक रबी के स्थान लिखा गया ऋण सु0 9,80,000/-रु0 असा कर दिया गया पत्र आरे ह0आर0के0 20.09.2021



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता यदि संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	बीजिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मालपुजारी का ममान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी कच्चा या उलका सारंगल उमकी संख्या तथा दिनांक सहित और कच्चा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>निवासी आरजेपुरम कुचदासवाडी तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ष 1 क संक0मूमि0 में दर्ज हो ह0आरजेपुरम 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4276 बर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0रि0 29.05.2023 के अनुसार बसरा नं0 145मि0 रकबा 0.230हे0 त0 5.66रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता ब राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता का नाम कारिज कर संजीव शर्मा पुत्र हरिकेश शर्मा निवासी न्यूईट हाउस रामनगर रोड ग्राम जल्मीपुर लखी तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ष 1 क संक0मूमि0 में दर्ज हो ह0आरजेपुरम 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4277 बर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0रि0 29.05.2023 के अनुसार बसरा नं0 146मि0 रकबा 0.130हे0 त0 3.22हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चौरपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर ब खाता सं0 00125 के बसरा नं0 152मि0 रकबा 0.131हे0 त0 3.23रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता ब राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चौरपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम कारिज कर सिधान्त मोवल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल निवासी बाजपुर काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ष 1 क संक0मूमि0 में दर्ज हो ह0आरजेपुरम 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4711 बर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0रि0 03.07.2023 के अनुसार बसरा नं0 145मि0 रकबा 0.051हे0 त0 1.25रू0 से विकास अरोरा पुत्र स्व0 कुन्दन साह का नाम कारिज कर हेमा रानी पत्नी जीवत सिंह पुत्री हरिराम निवासी जीवतनगर मालखन चौड तहसील रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्ष 1 क संक0मूमि0 में दर्ज हो ह0आरजेपुरम 26.07.2023/18.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/5844 बर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0रि0 21.07.2023 के अनुसार बसरा नं0 152मि0 रकबा 0.003हे0 त0 0.10रू0 से सिधान्त मोवल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम कारिज कर अमित कुमार पुत्र बबाल सिंह निवासी आरजेपुरम आरजेपुरम काशीपुर तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ष 1 क संक0मूमि0 में दर्ज हो ह0आरजेपुरम 03.08.2023/18.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/5845 बर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0रि0 21.07.2023 के अनुसार बसरा नं0 152मि0 रकबा 0.025हे0 त0 0.60रू0 से सिधान्त मोवल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम कारिज कर</p>	



उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 3 of 3

खाता खतीनी का संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	नीमिष अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	खाते के इलेक्ट्रिक माटे की बसरा संख्या — 4 —	इलेक्ट्रिक माटे का वोल्टेज (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय नामसुमारी या समान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञात या उसका कारण उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और अज्ञात देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
			5	4.3380		उत्तम देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह निवासी पाण्डेय बस्ती गोपीपुरा गृहमीन काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बेनामा द्वारा वर्ष 1 न वि०ने० के पूर्व में दर्ज हो ह०अ०ने०दि० 03.08.2023/18.08.2023 1431फ० बाद सं० 30/6842 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०ह०ने० का०दि० 06.09.2023 के अनुसार बसरा न० 153/1मि० रकबा 0.121ह० म० 3.00ह० में नकुम कुमार पुत्र स्व० गेहम कुमार का नाम कारिज कर संकर असमान पुत्र सुनील कुमार बसबास नि०सि०बनार निरीताम काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बेनामा द्वारा वर्ष 1 क संक्र०पूर्व में दर्ज हो ह०अ०ने०दि० 03.10.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7283 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०ह०ने० का०दि० 20.09.2023 के अनुसार बसरा न० 145मि० रकबा 0.019ह० म० 0.45ह० से संजीव शर्मा पुत्र हरिजोम कुमार शर्मा का नाम कारिज कर असमान बादब पुत्र कमलाम नि० अ०टी०ए०ए० एंड रिपोर्ट के/ने०- 16.ए०ने० संक्रोरी उ०सि०न० का नाम बेनामा द्वारा वर्ष 1 न वि०ने० में दर्ज हो ह०अ०ने०दि० 03.10.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7710 वर्ष (2022-23) न्वा०ना०ह०ने० का०दि० 26.09.2023 के अनुसार बसरा न० 145मि० रकबा 0.025ह० म० 0.60ह० से संजीव शर्मा पुत्र हरिजोम शर्मा का नाम कारिज कर ज्ञानचन्द्र शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा निवासी बाई सं० 07 कासाहूरी बस्ती जिला नेनीताल का नाम बेनामा द्वारा वर्ष 1 न वि०ने० के पूर्व में दर्ज हो ह०अ०ने०दि० 11.10.2023/25.10.2023	

कुल माटे: पाँच कुल क्षेत्रफल: चार दसमलख तीन तीन आठ कुल भू-राजस्व: एक शून्य सात दसमलख दो शून्य

Data Digitally Signed by : RAKESH SAHA

सबम अधिकारी : TEHSILDAR

गृहमीन : काशीपुर

बनास

असमान सिंह

दिनांक एवं समय : 14-05-2024 11:38:32 AM

यह उद्धरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा बाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

Pages 1 of 1

ग्राम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परगना : चाँदपुर(काशीपुर)

तहसील : काशीपुर

जनपद : उधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 पान : 1

1-अभूमि को सर्वेक्षण अधिकार वाले भूमिधारों के अधिकारों को

आवासीय क्रमांक — 1 —	आवेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष — 3 —	आवे के प्रत्येक गाँव की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाँव का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	आवेदार द्वारा देव सामनुवादी या ममान — 6 —	परिचरित सम्बन्धी खजाना या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और खजाना देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
00126	महेश कुमार/पुत्र देव/नि. ग्राम	1411फ0	145नि0 147नि0 152नि0 153नि0	0.0650 0.0320 0.0810 0.0770	6.30	1428फ0 राजस्व निरीक्षक काशीपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक पत्र क्र 11 का के क्रमांक 139 पर धारित आदेश दिनांक 03.07.2021 के अनुसार ग्राम चाँदपुर के आवासीय सं0 124, 125 एवं 126 पर प्रत्येक आवेदार महेश कुमार पुत्र देव के स्थान पर उनके हकीकी धारित राजस्व गुणा पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार नि0 ग्राम के नाम बतौर विरासतन दर्ज हो ह0आर0के0 सि0 13.07.2021/31.08.2021 1430फ0 बाब सं0 30/4278 वर्ष (2022-23) न्यार0ह0का0 के आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार बसरा नं0 145नि0 रकबा 0.01625हे0 व बसरा नं0 147नि0 रकबा 0.00800हे0 व बसरा नं0 152नि0 रकबा 0.02025हे0 व बसरा नं0 153नि0 रकबा 0.01925हे0 कुल रकबा 0.06375हे0 सं0 1.58रु0 से राजस्व गुणा पत्नी स्व0 महेश कुमार गुणा नि0आ0 चाँदपुर गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम धारित कर नकुल कुमार गुणा पुत्र स्व0 महेश कुमार गुणा नि0ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम धारित द्वारा दर्ज 1 क सं0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023	नीतीमान बैंक नि0 काशीपुर के पत्र दि0 15.02.13 के अनुसार आवेदार महेश कुमार ने अपनी भूमि को गु0 9,80,000/-रु0में बचक नीतीमान बैंक नि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000260721 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार आवेदार महेश कुमार गुणा द्वारा निवा नया ऋण गु0 9,80,000/-रु0 में अदा कर दिया ह0आर0के0 08.09.2021
			4	0.2550			

कुल गाँव: चार कुल क्षेत्रफल: मूल्य दसमलब दो पाँच पाँच कुल भू-राजस्व: छ: दसमलब तीन शून्य

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सबब अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : काशीपुर

दिनांक एवं समय : 14-05-2024 11:30



यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उद्धरण खतीनी (शासकीय)

Pages 1 of 1

डॉकूमेंट क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परतना : चाँदपुर(काशीपुर)

उद्देशीक : काशीपुर

बनपद : ऊषम सिंह नगर

फतही वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

1-क/पुमि जो सडकमधीय बधिकार वाले पुमिधारो के बधिकारने हो

बादा खतीनी क्रम संख्या — 1 —	बादेदार का नाम / बिदा बिदि संरकक का नाम/ मिवाह स्थान — 2 —	बीमिक बधिकार भारम्भ होने का वर्ष — 3 —	बादे के प्रलेक घाटे की बतरा संख्या — 4 —	प्रलेक घाटे का बेधकक (हे.) — 5 —	बादेदार द्वारा देव मासपुबारी वा समान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी बादा वा उसका कारण उनकी संख्या तथा किनांक उहित बीर बादा देने वाले बधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
00208	पुरेककुमार/सन्देश/मिवाह	१९९४	१५३/२	०.०२८०	०.७०		
			१	०.०२८०			

कुल घाटे: एक कुल बेधकक: शून्य दशमलव शून्य दो आठ कुल पू-राजस्व: शून्य दशमलव सात शून्य

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सडकम बधिकारी : TEHSILDAR

उद्देशीक : काशीपुर

दिनांक एवं समय : 14-05-2024 10:03 AM



यह उद्धरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीबरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

श्रीमान जी - 41

सेवा में

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :-

25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति चाहने वाली।

महोदय .

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बोंके मौजा ग्राम शौदपुर तहसील कारीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 157 से 25 पेड़ लीची के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D. H. S. - 4
C. H. O
4/10/2022

Sufu J

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :-

50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहने वास्ते।

महोदय .

नियेदन है कि प्रार्थी निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 157 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ों पर काफी वर्षों से फल नहीं आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D-429-5
C-110
4/8/2022

Sudhir Gupta

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

P. C. [Signature]

मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

①

शेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :- 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहने वारते।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 125 खसरा नं०- 145,152,153,147 में 60 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ प्रार्थी की भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

Haldy + L

प्रार्थी

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार
निवासी ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर।

P.C. Attwala
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :- 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहने वारते।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 156 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ों पर काफी वर्षों से फल नहीं आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी - ग्राम चौदपुर काशीपुर तहसील
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

D.H.9-D
C.H.O
4/18/2022

f/c. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 787/तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,
प्रभारी,

दिनांक 12/08/2022

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी- ग्राम चौदपुर, गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,147,152,153 कुल रक्बा 4.144 है० भूमि में 60 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शों में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 787/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी-ग्राम चौदपुर गोपीपुरा, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल/वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 784 / तक-2 / पातन-निरीक्षण / 2022-23,
प्रभारी,

दिनांक 12/08/2022

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रक्बा 1.7850 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 784 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

P.C. / A. S. / (2)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक-786/तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,

दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर

जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी- ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-156, रक्वा 0.9470 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कर्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नकशों में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी; साथ ही फोटो ग्राँफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक-786/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी-ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirakshar
P.C. [Signature]

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

3/3

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन कन्नपुर।

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-hortl.usn@gmail.com

पत्रांक 821 / तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,
प्रभारी,

दिनांक 22/08/2022

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा 0.708 हे० भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री गोपाल राम	सहा०वि०अधिकारी	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शों में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 821 / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि-

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

9

मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंह नगर के कार्यालय पृष्ठ 78 न तक-2 पातन निरीक्षण 2022-23 दिनांक 12-08-2022 तक पन्नाक 82 तक-2 पातन निरीक्षण 2022-23 दिनांक 22-8-22 के मादिका के परिपालन में आज दिनांक 19-12-2022 को श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता गांव-निवासी-ग्राम-चांदपुर तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुब्रह्म कुमार गुप्ता निवासी डार अशोक राव नू दक्षिणी दिल्ली गांव-चांदपुर तहसील-काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर व मनीस कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी गांव-चांदपुर तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंह नगर के बाग का निरीक्षण किया, निरीक्षण श्री जाकीर चन्द निवासी जेठ उद्यान निरीक्षक

पुष्पारी उद्यान स्थल दल काशीपुर एवं श्री कै० रत्न सागर जेठ उद्यान निरीक्षक पुष्पारी उद्यान स्थल दल-कुण्डेश्वरी ने संयुक्त रूप से किया, निरीक्षण आवक्या निम्न प्रकार से है पूर्व में दिनांक 22-2-2022 को श्री रेवाधर घट्टा जेठ उद्यान निरीक्षक श्री जाकीर चन्द निवासी जेठ उद्यान निरीक्षक, श्री कै० रत्न सागर जेठ उद्यान निरीक्षक व बलवन्त राम सहपाठ विकास अधिकारी ने श्री इस बाग को 15 मिनट तक देखा, अर्थात् हो जाने के कारण बाग का निरीक्षण करना संभव नहीं हो सका।

1- यह बाग काशीपुर क्षेत्रीय चौक से लगभग 12 किमी उत्तर दिशा में काशीपुर बागपत्तापुर से हेमपुर डोंगों को जाने वाली रोड (Road) के दक्षिण दिशा में स्थित है।

2- यह बाग बहुत अच्छी स्थिति में है, श्री उमेश कुमार गुप्ता जो उधमसिंह नगर गांव-चांदपुर वाले इस बाग की देखरेख करते थे, वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण उमेश गुप्ता एवं श्री महेश कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गयी, वर्ष 2022 22 दो वर्ष के लिए श्री उमेश कुमार गुप्ता जी द्वारा 60 लाख रुपये में फलों की विक्री हेतु फल ठेकेदार को दिया था, अब उनकी मृत्यु के बाद यह बाग उनके उपरोक्त वारिसों के पास आ गया है, उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त प्रॉपर्टी (आवासीय भवन) निर्माण के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर को बैच दिया है अब प्रॉपर्टी डीलर किसी भी प्रकार से आपव लीची के इस बाग को काटना चाहत है और विभिन्न प्रकार से दबाव बना रहा है जिससे की दबाव बनाकर काटने की स्वीकृति ली जा सके।

3. प्रॉपर्टी डीलर द्वारा श्री इसरत अली पुत्र श्री चंदरवा निवासी गांव-पतापपुर तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंह नगर को अपना ठेकेदार बनाया है, अतः व्यक्ति द्वारा शाफ्ट पत्र देकर पेड़ों को काटने की अनुमति चारी है।

Photo by A. B. Bhatnagar

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

इसरत अली पुत्र नॉ 82 निवासी ग्राम-प्रतापपुर तहसील - काशीपुर
 जनपद-उधमसिंहनगर नवंबर 2022-22 में 100 आम वृक्षों का पातन हेतु प्रस्ताव
 महामुद्र पुत्र कबीर महामुद्र निवासी लक्ष्मीपुर तहसील - काशीपुर जनपद
 उधमसिंहनगर के नाग का प्रार्थना पत्र दिया था, पातन स्वीकृती व हता काम पेशों
 की मिलने पर भी इसरत अली ठेकेदार द्वारा लगभग 200 से अधिक आम
 वृक्षों का पातन कर दिया था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर ने
 उन्त की जांच करवाई थी 7-1-2022 को श्री जादिशचन्द्र निवासी एवं श्री कैबल
 सागर ने उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जांच कर दिनांक 7-1-22
 को जांच भारव्या रसीप दी थी, जिसमें 200 से अधिक वृक्षों के कोटेजों की वार
 कट गयी है।

5- इस गाँव में कुल वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है।

- 1- आम वृक्ष कुल 718 (278 आम वृक्ष लगभग 50 साल शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)
- 2- लीची वृक्ष कुल 334 (लीची वृक्षों की आयु- 6 साल से 35 साल)
- 3- नासपाठी वृक्ष 48 (नासपाठी वृक्ष लगभग 6 साल)
- 4- कटहल वृक्ष 0 (कटहल वृक्ष 15 साल)

योग = 1100

6- ये सभी वृक्ष फल देने वाले हैं, इनमें कोई रोग नहीं लगा है
 इन वृक्षों से किसी को कोई जनहानी नहीं हो रही है, कोई अन्य
 कारण भी नहीं है।

7- अन्त में समिति इस निश्कर्ष पर पहुँचती है कि किसी
 भी दशा में गाँव का पातन न किया जाए, एक पेड़ की भी अनुमति दे दी गयी
 तो गाँव में एक भी वृक्ष नहीं बचेगा पूर्व में लगभग सभी ठेकेदारों के द्वारा ऐसा
 ही किया गया है, गाँव केवल प्लांटिंग के लिए काटने का विचार है
 ऐसी परिस्थिति में समिति गाँव न काटने की सुझाव देती है।

प्रमोद
 (जादिशचन्द्र उद्यान संचालक काशीपुर)
 जेठक उद्योग निरीक्षक
 उद्यान संचालक दल-काशीपुर

(कैबल सागर प्रभारी)
 जेठक उधमसिंहनगर उद्यान
 सुपडेंडेंटरी (30 कि० मीटर)
 उद्यान संचालक दल
 काशीपुर

photo copy attached

मुख्य उद्यान अधिकारी
 उधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 1911 / तक-2/ पातन निरी0/2022-23,
सेवा में,

दिनांक 03/01/2023

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर।

विषय:- आम/लीची के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर तहशील काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा आम के पेड़ों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 787/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री नकुल कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,147, 152,153 कुल रक्वा 4.144 है0 भूमि में 60 आम वृक्ष, पत्रांक 784/तक-2/पातन- निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157 कुल रक्वा 1.7850 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष, पत्रांक 786/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री मनीष गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-156 कुल रक्वा 0.9470 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष, एवं पत्रांक 821/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 22.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157 रक्वा 0.706 है0 भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर श्री आर0डी0भट्ट ज्ये0उ.0निरी0, मुख्यालय, ऊधमसिंह नगर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी की संयुक्त समिति गठित की गई थी। जिसका श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के क्रम में तीनों कृषकों द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 28.12.2022 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि आपको एवं तहसीलदार काशीपुर को भी प्रेषित की गई है। अतः महोदय से अनुरोध है कि बाग काफी बड़ा है एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु अपने स्तर से राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करेंगे।

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 1911 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम-चाँदपुर, तहशील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चाँदपुर, तहशील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चाँदपुर, तहशील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- तहसीलदार, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

P.C. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सह० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनों अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 20 पेड़ सूख रहे हैं व 30 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईनें भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

S.H. Dhillon
S.H.O.
02/08/22



(Signature)
प्रार्थी

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासी ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सहा० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनो अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 20 पेड़ सूख रहे हैं व 30 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईने भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनो अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनो अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रार्थी

श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

P-f Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

3/2

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सहा० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनों अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 15 पेड़ सूख रहे हैं व 35 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईनें भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार
निवासी 31 ए० अशोका एवन्वु दक्षिणी दिल्ली
हाल निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

P.F. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

सतलपत्र-ब

कार्यालय तहसीलदार, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

Email: tshtd@kashipur@gmail.com

पत्र सं०- ५० / ना०ना० / 2023

पूरणाग/पीका संख्या-06647-274020

दिनांक /2 जनवरी, 2023

- 1-श्री राम सिंह राजरव निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर।
- 2-कु० निर्मला मनोहा राजरव उप निरीक्षक क्षेत्र गोपीपुर।

मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं०-1911/तक-2/पातन निरी०/2022-23 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्य० महेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं०-00125 खसरा नं०-146, 147, 152, 153 कुल रकबा 4.144 है० भूमि में 60 आम वृक्ष, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-157 कुल रकबा 1.7850 है० भूमि में 50 आम वृक्ष, मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-156 कुल रकबा 0.9470 है० भूमि में 50 आम वृक्ष एवं श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-157 रकबा 0.706 है० भूमि में 25 लोही वृक्ष के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उक्त बाग काफी बड़ा है एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय काशीपुर ने अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं०-132/ना०ना०/2023 दिनांक 11 जनवरी, 2023 के द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर से प्रकरण में उद्यान विभाग से 02 अधिकारी/कर्मचारी का नाम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिस पर संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की जा सकें। जिस पर मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर ने अपने पत्र सं०-711 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक व श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के नाम प्रेषित किये गये हैं।

अतः उक्त प्रकरण में उद्यान विभाग के कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुये, स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मु०, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण में राजस्व विभाग के उक्त कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुये, अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तहसीलदार, काशीपुर।


 तहसीलदार, काशीपुर।

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

संलग्न-10

Email: tohsilkashipur@gmail.com

दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

पत्र संख्या-154 / ना0ना0 / 2022

दिनांक 07-01-2023

विषय- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

गोपा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के कम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 44 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P. C. / Attested

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

S. H. 9-10

C. H. O
18/1/2023

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13-01-2023 को तहसिलदार काशीपुर जनपद अधमसिंहनगर के पत्रांक संख्या 40/ना० ना०/2023 दिनांक 12 जनवरी 2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम/लीची वृक्ष पातन हेतु गठित समिति के सदस्य श्री रेवाधर भद्र ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक गुरब्यालय अधमसिंहनगर, श्री रमेश कुमार ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर श्री रामसिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनौला राजस्व उद्यान निरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा द्वारा श्री सुधीर कुमार गुप्ता 3/0 श्री सुदेश कुमार गुप्ता निवासी चांदपुर के प्रधान से स्वतंत्र संख्या-00027, स्वरा संख्या-157 कुल भूमि में उद्यान में खड़े आम वृक्षों का उक्त समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में प्रथम पंक्ति में 7 वृक्ष, द्वितीय पंक्ति में 9 वृक्ष तिसरी पंक्ति में 7 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 8 वृक्ष, पान्चवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, छठी पंक्ति में 9 वृक्ष, सातवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, आठवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, नौवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, दसवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, इग्यारवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, बारावीं पंक्ति में 10 वृक्ष कुल 102 वृक्ष खड़े हैं।

- ① उक्त वृक्ष लगभग 50 वर्ष से ऊपर के प्रतीत होते हैं। उम्र अधिक होने के कारण फलों का उत्पादन कम हो रहा है।
- ② उक्त आम वृक्षों की उम्र अधिक होने के कारण वृक्षों का ढैलाव अधिक होने तथा छिनियों के आपस में सट जाने के कारण आपस अवरूप फल उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कुछ वृक्ष झर रहे हैं तथा कुछ वृक्षों की छिनियां खरबी हैं फीरो आफ संलग्न हैं।
- ③ उक्त उद्यान के बीचों-बीच बिजली की दो लाइनें जा रही हैं जिससे वृक्षों छिनियां टच हो रही हैं जिसे जान-माल का खतरा प्रतीत होता है। फीरो आफ संलग्न हैं।

उपर्युक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए समिति के चारों नामित सदस्यों द्वारा उक्त उद्यान समिति प्रधान की गयी कि उक्त उद्यान में पहली पंक्ति में 7 वृक्ष, दूसरी पंक्ति में 9 वृक्ष, तिसरी पंक्ति में 7 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 8 वृक्ष, पान्चवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, छठी पंक्ति में 9 वृक्ष, सातवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, आठवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, नौवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, दसवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, इग्यारवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, बारावीं पंक्ति में 10 वृक्ष कुल 102 वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।

अतः अलाभकारी 102 वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्ष रोपण करना उचित होगा, सापेक्ष स्वीकृति उपयुक्त आम श्री सुधीर कुमार गुप्ता एवं उनके द्वारा नामित रेवाधर भद्र श्री इंदर मली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षों का पातन किया जायेगा तो वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसका अंकी डेकवार का शपथ पत्र संलग्न है।

(रेवाधर भद्र)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
C.H.O. काशीपुर विकास विभाग
काशीपुर

(रमेश कुमार)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
जसपुर

(रामसिंह)
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर

(निर्मला)
राजस्व उद्यान निरीक्षक
क्षेत्र गोपीपुरा

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

Email-tehsilkashipur@gmail.com दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

दिनांक 17-01-2023

पत्र संख्या-140/ना0ना0/2022

विषय:- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 39 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.C. / Attested

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

S.H.9-111
C.H.0
18/1/2023

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13-01-2023 को तहसीलदार, तहसीलकाशीपुर जनपद
 अथमसिंहनगर के पत्रांक संख्या 40/नो नो/2023/दिनांक 12 जनवरी 2023 द्वारा
 दिये गये निर्देशानुसार आम/कीची/बुझो के पातन हेतु गठित समिति के
 सदस्य श्री रेवाधर अष्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय विकास मवन
 रुद्रपुर, श्री एस.एल. कोली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री
 रामासिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनौला राजस्व
 अनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा द्वारा श्री बनीष कुमार गुप्ता 30 सुरेश कुमार गुप्ता
 ग्राम-चांदपुर के उद्यान में खतौनी संख्या 00027 खसरा संख्या-156 कुल
 0.9470 हेक्टर भूमि में उद्यान में खड़े आम बूझो का उक्त गठित समिति
 के सदस्यों द्वारा बूझो का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका नजरी
 नक्शा संलग्न है एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में प्रथम पेकरी में-14 बूझ, द्वितीय पेकरी में-16 बूझ
 तृतीय पेकरी में-16 बूझ, चौथी पेकरी में-13 बूझ, पाचवीं पेकरी में-12 बूझ
 छठी पेकरी में-11 बूझ, सातवीं पेकरी में-10 बूझ, आठवीं पेकरी में-12 बूझ कुल
 104 बूझ खड़े हैं।

① उक्त उद्यान में बूझ लगभग 55 वर्ष से ऊपर के प्रतीत हो रहे हैं
 अधिक उम्र होने के कारण फल उत्पादन कम हो रहा है।

② उक्त उद्यान में बूझों की उम्र अधिक होने के कारण बूझों का
 फैलाव अधिक होने के कारण रधनियां आपस में सरी होने के
 फल उत्पादन पर कुभाव पड़ रहा है तथा कुछ बूझ सूख रहे हैं,
 कुछ बूझों की रधनियां सूख रही हैं, फौरो संलग्न है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए समिति के चारों सदस्यों
 द्वारा सहमति प्रदान की गयी कि उक्त उद्यान में पहली पेकरी में
 ④ बूझ, दूसरी पेकरी में-⑤ बूझ, तिसरी पेकरी में-⑥ बूझ, चौथी पेकरी
 में-⑥ बूझ, पाचवीं पेकरी में-④ बूझ, छठी पेकरी में-③ बूझ, सातवीं पेकरी
 में-⑥ बूझ, आठवीं में-④ बूझ कुल-③9 बूझ पातन योग्य प्रतीत हो रहे हैं।

अतः अलाभकारी ③9 बूझों का पातन कर उनके स्थान पर नये
 बूझों का रोपण किया जाना उचित होगा, साथ ही स्वकृति के उपरान्त
 श्री बनीष कुमार गुप्ता या उनके द्वारा। नामित बैंकदार श्री इसरत अली
 निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वकृति से अधिक बूझों का पातन किया जाता है तो
 वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, इसरत अली बैंकदार का शपथ पत्र संलग्न है।

(रेवाधर अष्ट)
 ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
 सी.पी.ओ. कार्मेलम
 रुद्रपुर

(एस.एल. कोली)
 ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
 जसपुर

(रामासिंह)
 राजस्व निरीक्षक
 क्षेत्र काशीपुर

(कुमारी निर्मला मनौला)
 राजस्व उपड विधि
 गोपीपुरा

मुख्य उद्यान अधिकारी
 रुधम सिंह नगर

निर्मला मनौला
 राजस्व अनिरीक्षक
 क्षेत्र काशीपुर
 जिला-अथम सिंह नगर

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

Email-tehsilkashipur@gmail.com दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

पत्र संख्या-139 / ना0ना0 / 2022

दिनांक 17-01-2023

विषय:- लीची के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12-जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 22 लीची वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

S.H.9-119
C.H.O.
18/1/2023

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.S./Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

खसुस निरीक्षण कारणा

उत्तम दिनांक 13.01.2023 को तहसीलदार तहसील-काशीपुर जनपद -
 अजयसिंह नगर के पत्र सं- 40/ना0 ना0 2023/दिनांक - 12 जनवरी 2023 द्वारा
 दिवंगत निरिक्षकों के परिपालन में पातन हेतु जग्गि सक्ति के सदस्यों
 श्री रेवाधर अठ ज्येष्ठ निरीक्षक मुख्यालय श्री शेकरलाल कोहली ज्येष्ठ उपाय निरीक्षक
 परसपुर श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर एवं कुप निर्मला मनोला
 राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरों द्वारा श्री सुधीर कुमार मुख्यालय काशीपुर
 खसुस सं- 0027 रखस सं- 157 रखस 0.706 ई0 अक्षि में खेड वीची
 वृक्षों का स्मरीय निरीक्षण किया गया जिसका नजदी नकशा संलग्न है।
 निरीक्षण आस्था निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में पंचम पन्ति में 08, छसरी पन्ति में 10, तीसरी पन्ति में -10,
 चौथी पन्ति में 08, पाचवी पन्ति में -08, दस्ये पन्ति में -10, सातवी पन्ति में -09,
 आठवी पन्ति में -09, नवी पन्ति में -10, दसवी पन्ति में 08, ग्याहवी पन्ति में 08,
 बारहवी पन्ति में 05 कुल - 103 वीची वृक्ष खेड है।

- 1- उक्त उद्यान में वीची के वृक्ष लगभग 35 वर्ष से अधिक के प्रतीत
 हो रहे हैं।
- 2- पौधों का रोपण कम इरी पर किया गया है, कुद पौधे 5x5 मीटर
 पर तथा कुद पौधे 6x6 मीटर इरी पर ~~किए~~ रखे हैं। पौधों की
 बेहवार अधिक है जो के कारण पौधों की रूढ़ियां आपस में सर चुकी
 हैं। तथा पौधों की दाय एक दूसरे पर पर रही है जिस कारण फलों
 का उत्पादन आशा - मनुष्य नही होगा।
- 3- कुद पौधों की रूढ़ियां सूर्य रही हो तथा पौधे फल नही देने की स्थिति में हैं।
- 4- पौधों की इरी कम होने से आपस में सरे पौधों का पातन किया जाय
 उचित होगा तकि अन्य पौधों के खुली रूप मिल सके।

Attested

उक्त उद्यान में पहली पन्ति में -02 छसरी पन्ति में -04 तीसरी पन्ति में -03 चौथी
 पन्ति में -01 पाचवी पन्ति में -02 इरी पन्ति में -02 सातवी पन्ति में -02 आठवी पन्ति में
 01 नवी पन्ति में -02 दसवी पन्ति में -01 ग्याहवी पन्ति में -02 बारहवी पन्ति में -x
 कुल 22 ~~वृक्ष~~ के वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।

कतः अत्याभवापी - 22 वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्षों
 का रोपण करना उचित होगा। पातन की स्वीकृति उपरत ग्रीड उद्यानपति अधवा
 उनके प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति से अधिक पौधों का पातन किया जायगा तब उन पर योग्य
 मित्ती की कार्पनाही के लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

(राम सिंह)
 ज्येष्ठ उप निरीक्षक
 जिला - अजय सिंह नगर

(शेकरलाल कोहली)
 ज्येष्ठ उप निरीक्षक-मुख्यालय

(शेकरलाल कोहली)
 ज्येष्ठ उप निरीक्षक-मुख्यालय

Email-tehsilkashipur@gmail.com दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

पत्र संख्या- 185/ना0ना0/2023

दिनांक 31-01-2023

विषय:- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाघर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री एस0एल0कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के कम में श्री रेवाघर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री एस0एल0कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 45 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

S.H. 2-14
C.H. 0
31/01/23

P.C. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 22-01-23 को तहसीलदार काशीपुर जनपद - अछमरहे नगर के प्लॉक संख्या 40/नो०ता०/2023/दिनांक 11 जनवरी 23 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कुम वृक्ष पातन हेतु उनके द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति श्री रेवाधर भय्य ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक लुखियालय कुरुपुर, श्री एस० स्ल० कोहली ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक जसपुर, श्री रामरहित राजलख निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनोला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुर द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता S/O श्री महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम-चांदपुर के प्रधान के स्वतंत्र संख्या-00125 समूह नं० 145, 146, कुल भूमि 4.144 हेक्टर स्थित प्रधान के खड़े आम वृक्षों का उक्त गठित समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका नजारी नक्शा संलग्न है, एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है-

उक्त प्रधान में पहली पंक्ति में 4 वृक्ष, दूसरी पंक्ति में 19 वृक्ष, तिसरी पंक्ति में 20 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 23 वृक्ष, पाँचवी पंक्ति में 19 वृक्ष, छठी पंक्ति में 21 वृक्ष, सातवी पंक्ति में 21 वृक्ष, आठवी पंक्ति में 22 वृक्ष, नौवी पंक्ति में 19 वृक्ष, दसवी पंक्ति में 22 वृक्ष, ग्यारहवी पंक्ति में 22 वृक्ष, बारहवी पंक्ति में 23 वृक्ष, तेरहवी पंक्ति में 21 वृक्ष, चौदहवी पंक्ति में 22 वृक्ष, पंद्रहवी पंक्ति में 10 वृक्ष, कुल 288 आम वृक्ष खड़े हैं।

- ① उक्त आम वृक्ष 55 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतीत होते हैं अधिक उम्र होने के कारण फलों का उत्पादन कम हो रहा है उत्पादन आणवृक्ष नहीं हो रहा है।
- ② उक्त प्रधान में नीचो बीच बिजली की लाइन जा रही है। तथा आम वृक्षों पर स्प्र बिजली के तार मिल रहे हैं जिससे जन हानि भी हो सकती है।
- ③ अधिक उम्र होने के कारण वृक्षों का फैलाव अधिक हो चुका है, कुछ वृक्ष झुके हैं कुछ वृक्षों की खनिजां सूख रही हैं फाँसे संलग्न हैं।

उपरोक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए उक्त गठित समिति के चयन की प्रति सदस्यों द्वारा सहमति प्रधान की गयी कि उक्त प्रधान में पहली पंक्ति में ⑥ वृक्ष, दूसरी पंक्ति में ⑦, तिसरी पंक्ति में ⑧ वृक्ष, चौथी पंक्ति में ⑨ वृक्ष, पाँचवी पंक्ति में ⑩ वृक्ष, छठी पंक्ति में ⑪ वृक्ष, सातवी पंक्ति में ⑫ वृक्ष, आठवी पंक्ति में ⑬ वृक्ष, नौवी पंक्ति में ⑭ वृक्ष, दसवी पंक्ति में ⑮ वृक्ष, ग्यारहवी पंक्ति में ⑯ वृक्ष, बारहवी पंक्ति में ⑰ वृक्ष, तेरहवी पंक्ति में ⑱ वृक्ष, चौदहवी पंक्ति में ⑲ वृक्ष, पंद्रहवी पंक्ति में ⑳ वृक्ष, कुल ⑮ वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।

अतः अलाभकारी ⑮ वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्ष रोपण करना उचित होगा, साथ ही स्वीकृति उपरोक्त श्री नकुल कुमार गुप्ता एवं उनके द्वारा नामित हेमेश्वर इसरतमली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षों का पातन किया जाना है तो वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, श्री इसरतमली का शपथ पत्र संलग्न है।

(रेवाधर भय्य) ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक
 C.H.O. न्यायलय विकास भवन
 कुरुपुर

(एस० स्ल० कोहली) ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक
 जयन सिंह कपड़ा
 जयन सिंह कपड़ा

(रामरहित) राजस्व निरीक्षक
 इंदर काशीपुर

(कुं निर्मला मनोला) उपनिरीक्षक
 जिला-अचमरहे नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रुद्रपुर

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2067 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23,

दिनांक: 19/01/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,

जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या - 156, रकबा-0.9470 हे० भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक-40 / ना०ना० / 2023 / दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रान्त निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क०स०	फल का नाम / प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति / वृक्षों की स्थिति
1-	आम	39	55 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी / अलामकारी / रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रु० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र / टी०डी०आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लाट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी / मुख्य उद्यान अधिकारी / प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ट की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- कटान हेतु अनुमत: किये गये वृक्षों के प्रकाष्ट की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ट हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 39 फल वृक्षों पर 78 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- प्रभारी पातन / लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2067 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन / लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।
 - थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
 - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रूद्रपुर

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2068 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23,

दिनांक: 14/01/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा- 1.7850 हैठ भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना0ना0/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रागत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	आम	44	50 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रस्त

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी०डी०आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लॉट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत किये गये वृक्षों के प्रकाष्ठ की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ठ हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अग्रिम प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 44 फल वृक्षों पर 88 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2068 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

photo copy attested

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रुद्रपुर

& ☎:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2069/तक-2/पातन-स्वीकृति/2022-23,

दिनांक: 19/01/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,

जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा- 0.706 है० भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना०ना०/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रागत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	लीची	22	35 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रस्त

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी०डी०आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लाट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत किये गये वृक्षों के प्रकाष्ठ की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ठ हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 22 फल वृक्षों पर 44 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2069/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई परिचमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

P.C./Attester
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

8

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रूद्रपुर

& ☎:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2179 / तक-2/पातन-स्वीकृति/2022-23,

दिनांक: 5/2/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चौदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,146, रकबा- 4.144 है० भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना०ना०/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-22.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तहसीलदार काशीपुर, के कार्यालय पत्रांक 185/ना०ना०/2023, दिनांक 31.01.2023 के क्रम में आपके क्षेत्रांगत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क०स०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	आम	45	55 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलाभकारी/रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी०डी०आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लॉट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- कटान हेतु अनुमत: किये गये वृक्षों के प्रकाष्ठ की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ठ हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 45 फल वृक्षों पर 90 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2179 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि:-1. श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम- चौदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 08.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।
- थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
 - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraiwest@gmail.com

पत्रांक 302 / 23-2

दिनांक, रामनगर, 19-07-2023

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

विषय

नाप खेत में स्थित आम/लीची फलदार वृक्षों के अधिक काटे जाने के सम्बंध में

सन्दर्भ -

आपका पत्रांक 344/तक-2/पातन-निरीक्षण/2023-24 दिनांक 03-06-2023, पत्रांक 454/तक-2/पातन-निरीक्षण/2023-24 दिनांक 22-06-2023 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 5951/23-2 दिनांक 17-06-/2023।

महोदया

उपरोक्त विषयक क्रम आपके द्वारा श्री मनीष गुप्ता, श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चॉदपुर द्वारा स्वीकृत आम व लीची वृक्षों के सापेक्ष अधिक वृक्ष पातन किये जाने के सम्बंध में दर्ज मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर शिकायत के सम्बंध में इस वन प्रभाग द्वारा अवैध पातन पर की गयी कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4 एवं 10 के अन्तर्गत वन क्षेत्राधिकारी, काशीपुर द्वारा उनके विरुद्ध एस-2 कर इजराय कर कुल रुपये 4,40,000/- (रुपये चार लाख चालीस हजार) का जुर्माना वसूला गया है जिसकी प्रति सलगन ह आपको उपलब्ध कराई गयी है।

दिनांक 05-07-2023 को पुनः मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गयी है। संयुक्त निरीक्षण की जाँच रिपोर्ट में भी 88 वृक्ष बिना स्वीकृति के पातन होना पाया गया जिसका जुर्म रुपय 4,40,000/- (रुपये चार लाख चालीस हजार) पूर्व में ही इजराय कर लिया गया है।

आपके द्वारा अपने पत्र के माध्यम कि उक्त स्थल पर 88 से अधिक वृक्षों का पातन किया गया है का उल्लेख किया गया है जबकि मौके का दो बार संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। जिसमें स्थिति यथावत है। आपके द्वारा 88 अवैध वृक्षों के पातन के अतिरिक्त जिन वृक्षों का पातन पाया गया उसके विरुद्ध आपके स्तर से जो-जो कार्यवाही की गयी है मय उससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवायें।

अतः दिनांक 05-07-2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलगनक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रकाश चन्द आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 302/दिनांकित

1- प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, काशीपुर को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रकाश चन्द आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रुद्रपुर

☎- ☎:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 270 / तक-2 / सी0एम0 / हेल्पलाइन / 2022-23,

दिनांक 23/05/2023

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0 / प्रभारी, उ0स0द0केन्द्र, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।
2. श्री दिवाकर पाण्डे, सहा0वि0अधि0, उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, ऊधम सिंह नगर।

विषय: सी0एम0 हेल्पलाइन शिकायत सं0 446812 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री हरप्रीत शर्मा नियर महाराना प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर देहरादून की सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सं0 446812 जो ग्राम- चॉदपुर में फलदार वृक्षों को अनुमति से अधिक काँटे जाने के सम्बन्ध में हैं, को त्वरित कार्यवाही हेतु दिनांक 27.04.2023 को उद्यान विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम चॉदपुर में फलदार वृक्षों को अनुमति से अधिक काँटे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कम सं0 10 धारा-4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति- कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े हुए वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है उसे कारावारस का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कम सं0 15 में अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू-गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिए प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी का ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हैं, छोड़ दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाएगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त जाँच कर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की कार्यवाही अथवा जुर्माने की धनराशि सहित विस्तृत जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आख्यानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 270 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि- तहसीलदार, काशीपुर जनपद-ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम-चॉदपुर, तहसील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चॉदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चॉदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

निरीक्षण आख्या - 24-05-2023

मुख्य उद्यान अधिकारी उधमसिंह नार महोदय के कार्यक्षेत्र पर 290 तक-21 सीमेंट/हैपलाइम/2022-23 दिनांक 23-05-2023 के परिपालन में आज दिनांक 24-05-2023 को श्री नकुल कुमार, सुधीर कुमार, मनीष कुमार ग्राम-चौदपुर के आम लीची के बाग का निरीक्षण किया, निरीक्षण जादीश चन्द निवारी जेठ उद्यान निरीक्षक प्रधारी उद्यान सचल दल-काशीपुर व दिवाकर पाण्डेय सहायक विकास अधिकारी उद्यान सचल दल कैद कुण्डेश्वरी ने किया, साथ में मनोज कुमार उद्यान सहायक, उद्यान सचल दल काशीपुर भी रहे, जिन्होंने आम लीची के पौधों का गिनने में सहयोग किया। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

1- यह बाग काशीपुर प्रग्रीप चौक से लगभग 1200 किमी उत्तरदिशा काशीपुर-रामनगर हाइवे के पश्चिम दिशा में स्थित है। बाग से प्रतापपुर का बाजार खलगा है, यह बाग प्रतापपुर से हमपुरडीपो को जाने वाली रोड (Road) के दक्षिण दिशा में स्थित है।

2- दिनांक 19-12-2022 को इस बाग का निरीक्षण जादीश चन्द जेठ उद्यान निरीक्षक उद्यान सचल दल काशीपुर एवं किसानताल सागर जेठ उद्यान निरीक्षक उद्यान सचल दल काशीपुर ने संयुक्त रूप से किया था उस समय उ इस बाग में आम, लीची व अन्य प्रजाति के कुल 110 पौधे गिने गए थे, उस समय सभी वृक्ष स्वस्थ व फल देने की स्थिति में मजिस्कार के जिस कारण उक्त समिति ने अपनी निरीक्षण आख्या में किसी भी स्थिति में बाग काटने की संकल्पना नहीं दी थी।

3- वर्तमान में बाग में कुल 579 आम लीची के फल वृक्षों के वास्तविक जड़ सहित उखाड़ कर बाग में प्लास्टिक कर दी गया है - जोरा और से सीमेंट की दीवार बनाई गयी है। प्लास्टिक के बाहर 1 नई आम लीची वृक्षों को काटने की तैयारी की गयी इन पौधों को 90% हीन पहुँचाई गयी है। इस प्रकार किसी भी रूप में उखाड़ा जा सकता है।

पूरे गाँव में एलास्टिक का कार्य चल रहा है इस प्रकार पौधों की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

- ① दिनांक 19-12-2022 के निरीक्षण के समय कुल पौधों की सं० 1101
- ② दिनांक 24-5-2023 के निरीक्षण के समय कुल जीवत पौधों की सं० 531
- ③ दिनांक 24-5-2023 को जड़ सहित कट गये पौधों की सं० 470
- ④ दिनांक 24-5-2023 को एलास्टिक के अन्तर् 90% एनिप्लैण्ट गैप आम लीची के पौधों की संख्या 178
- ⑤ दिनांक 24-5-2023 को जर्मनी वसूल जॉन वाल पौधों की सं० 8

$$470 + 178 = 648 \text{ पौधे}$$

5- इस गाँव में श्रेष्ठ बच्चे बूझा को भी अविषय में गार्डन की सैयारी विलडरों द्वारा की जा रही है जिस कारण अविषय में किसी भी स्थिति में गाँव गार्डन की सम्मति नहीं दी जाएगी।

6- जिन कुषकों के नाम इस निरीक्षण आख्या में लिखा है निरीक्षण के समय इनमें से कोई भी नहीं मिला, स्थानीय लोगों से पता करने पर लोगों ने बताया कि इन तीनों कुषकों का निवास दिल्ली में है। इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है।

7- उद्यान सचल दल केन्द्र में इन कुषकों का कोई भी अधिलेखन नहीं है, इनके बारे में प्रभिकार प्रभिकार व प्रभिकार सचल दल अधिलेखन मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालय रुद्रपुर में होंगे जहाँ से इस गाँव का कार्रवाई की स्वीकृति दी गयी है।

8- मुख्य उद्यान अधिकारी अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति में कि किसीके नाम अज्ञात कार्यवाही की जाए व किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए, पत्र के माध्यम से सादर करे व कार्रवाई करें।

24-5-2023

(जादिश चन्द तिवारी)

जब उद्यान निरीक्षण उद्यान सचल दल
लाहौरी

(दिवाकर पाण्डे)

सहायक विकास अधिकारी
उद्यान सचल दल-कैथनवरी

फर्द खसरा ग्राम चाणपुर परगना व तहसील काणपुर जिला अमर सिंह नगर सन फसली 143050

सिलसिला-14

खसरा नं०	रकबा (कचट० में)	खाला खाली लख्या	नाम कारतकार अरुल	शिकना कारतकार	तरीका खप-पारी	खरीक			रबी			जवय			को कसली		मिलान खसरे क अनुसार		प्रत्येक खेत क पूर पैद	दिनांक टिप्पणी
						जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	अ०	प्रती	रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
145 मि०	1-238	125	राजेश गुप्ता नकुल कुमार	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (1-238)	-	-	-	-	-	-	आम	X
145 मि०	0-065	126	राजेश गुप्ता नकुल कुमार	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (0-065)	-	-	-	-	-	-	आम	X
146	1-117	27	सुधीर गुप्ता, ननीष गुप्ता नकुल कुमार गुप्ता	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (1-117)	-	-	-	-	-	-	आम	X
147 मि०	0-182	125	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (0-182)	-	-	-	-	-	-	आम	X
147 मि०	0-032	126	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (0-032)	-	-	-	-	-	-	आम	X
150	1-088	27	सुधीर गुप्ता आदि व० अ० न० 146	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (1-088)	-	-	-	-	अम्बरी अ० 0-683	आम वन्दन लेख नारायणी लेखी	आम वन्दन लेख नारायणी लेखी	X
152	1-244	125 1-263	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	X	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (1-263)	-	-	-	-	-	-	आम	X

फर्द खसरा ग्राम चोरपुर पटवणा व तहसील बारापूर जिला उमर सिंह नगर सन फसली 1475 82

खसरा नं०	रकबा (बिघा में)	खसरा खतीली नम्बर	नाम कारखाना धराल	सिक्की मालका	तारीख धर-पत्ती	खसरा			रकबा			जमाया			रो कसली		मिलान खसरे के अनुसार		पलोक खेत के पूरे पैदा	विशेष टिपणी
						बि०	बि०	अ०	बि०	बि०	अ०	बि०	बि०	अ०	बि०	अ०	बेगी	रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
152	1.344	126 0.051	रामेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बेगी (0.051)	-	-	-	-	-	-	बेगी नरुल 52	✓
153	0.097	126	रामेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बेगी (0.097)	-	-	-	-	-	-	बेगी नरुल 20	✓
153 1	1.461	125	रामेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बेगी (1.461) अम 1000	-	-	-	-	-	-	बेगी अम 100 नरुल 100	नरुल 10
153 2	0.028	208	सुरेश कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बेगी (0.028)	-	-	-	-	-	-	बेगी 14	✓
156	0.947	27	सुधीर गुप्ता आरि व. श. नं० 146	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	अम (0.947)	-	-	-	-	अम 100	0.947	अम 10	✓
157	1.785	27	सुधीर गुप्ता आरि व. श. नं० 146	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बेगी (1.785) अम 1000	-	-	-	-	अम 100	1.785	अम 30 बेगी 21	✓
नोट: जमल मुताबिक जमल के हैं						सरकारी कार्य हेतु नरुल जारी की गई है।														

Handwritten signatures and notes at the bottom of the table, including a date '21/05/2024' and 'बारापूर'.

संयुक्त निरीक्षण काया.

आज दिनांक 26-9-23 को श्रीमान जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिसूचना के निर्देशानुसार गठित टीम उद्यान विभाग, बनविभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चाणपुर तहसील काशीपुर के खेती नंबर 146, 154, 155, 156, 157, 145, 147, 152, 153 में श्री नकुल गुप्ता, सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार के नाम दर्ज भूमि वर्ग-1 के संक्रमणीय भूमिधारी में दर्ज अभिलेख है. प्रश्नगत खेती मन्वरान में आम, लीची, नाशपाती, करहल, जायून का वृक्ष खेती जिसे राजस्व विभाग द्वारा 150 वृक्षों की स्वामित्व रिपोर्ट दी गयी. उद्यान विभाग द्वारा मौके की जांच कर वृक्ष पातन हेतु स्वीकृति दी गयी थी. तत्पश्चात डेक्कन द्वारा 150 वृक्ष के अतिरिक्त 88 वृक्ष बिना अनुमति के काटे गये। जिस पर वन विभाग द्वारा नियमानुसार 440000 = 40 रुपया जुर्माना बसूला गया. शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया कि स्वीकृति एवं अनुमानावली किमे गये वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्षों का पातन किया गया है शिकायतकर्ता के उपस्थिति में आज दिनांक 26-9-23 को सुबह 11:30 बजे उपजिलाधिकारी काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी अधिसूचना के निर्देशानुसार संयुक्त टीम के द्वारा उपस्थिति पत्र तैयार किया गया। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं पत्र संलग्न शिकायतकर्ता उपस्थिति में टीम द्वारा वृक्षों की गणना प्रारंभ की गयी. गणना का कार्य 6:00 बजे सायंक 7 बजे वृक्षों की गणना का विवरण निम्न प्रकार है. मौके पर कोई खेद नहीं पाया गया.

- 1- आम - 505
- 2- लीची - 320
- 3- नाशपाती - 50
- 4- करहल - 2
- 5- जायून - 2
- कुल 879

उपरोक्त वृक्ष मौके पर रिबड़े एवं जीवित पाये गये हैं

- 1- श्री देवेन्द्र सिंह वन विभाग अधिकारी
- 2- श्री मनीष कुमार अधीनस्थ अधिकारी A.C.F.
- 3- सुकुमर डाली तहसीलदार काशीपुर
- 4- सुडा भावना जोशी C.H.O. अधिसूचना

5- श्री अभय प्रताप सिंह S.D.O. 26/09/23
 6- श्री हरदीप शर्मा शिकायतकर्ता

सुपरिन्टेन्डेंट - उपरिष्ठा

आज दिनांक- 26-09-2023 को श्री नकुल कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री सुधीर गुप्ता व अनीष कुमार गुप्ता के साथ-साथ (गौशाला भेड/पुलापुर) के ठहरे हुए कर्मियों के कर्मियों में से ^{मिला-क्या-के-उपर} पर आभ, लान्हा आदि हस्तों के सम्बन्ध में ^{नापकति} हुत राजा विभाग फल उद्यान विभाग, सम्बन्धित कर्मियों/अतिरिक्तियों का शिफायत कर्ता को भेजे पर पुलापुर कर्मियों में ⁹⁹⁹ विविन्न प्रजाति के हस्तों का शिफायत कर्ता को शिफायत ⁹⁹⁹ सम्बन्ध ⁹⁹⁹ पर हस्तों को गणना को गणना, गणना का ⁹⁹⁹ के सम्बन्ध में ⁹⁹⁹ विविन्न कर्मचारी/अतिरिक्तियों उपरिष्ठा

- 1- श्री देवेन्द्रसिंह राजवार वन इन्सपेक्टर काशीपुर
- 2- " प्रदीप कुमार चौलाखेड़ी A.C.F. रायनगर
- 3- " अभमप्रतापसिंह S.D.M. काशीपुर
- 4- " सुसुफ अली तहसीलदार काशीपुर
- 5- डॉ० भावना जोशी मुख्य उद्यान अधिकारी अध्यासिंहनगर
- 6- श्री रेवाधर भट्ट S.H.I. मुरब्यालप खडपुर
- 7- " गोपाल एम S.H.I. " "
- 8- " एस० एल० कोहली S.H.I. जसपुर
- 9- " रामसिंह राजस्व निरीक्षक काशीपुर
- 10- कु० निमला मंगोला उप-राजस्व निरीक्षक गोपीपुर काशीपुर
- 11- श्री नरेन्द्रसिंह उद्यान सहायक जसपुर
- 12- " राकेश कुमार " " Rakesh
- 13- " तरसेप्रसाद वडावीर आधर Tarshemansh
- 14- " रमेशचन्द्र उपराजिक
- 15- " नवी हमन टेलीफोन लाइनमैन
- 16- " हरदीप शर्मा शिफायतकर्ता
- 17- " इशरत अली
- 18- " शक्ति प्रकाश अग्रवाल
- 19- " साचिन अग्रवाल
- 20- " सुरेन्द्र अग्रवाल

26/09/2023
T.H.


S. Aggarwal
26/9/2023
Superintendent Farm

संयुक्त जांच रिपोर्ट

दिनांक 8-5-24 तथा आज दिनांक 10-5-24 को ग्रामनीय शन० जी० टी० टी० के समझ चोंडपुर के खाता संख्या 00027, 00125, 00126, तथा 00208 कुल रकवा 9.91 हेक्टर भूमि में पूर्व में दिनांक 26-9-23 को वन विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी काशीपुर तहसीलदार काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी अंधाबासिनगर प्रशासीय वनाधिकारी रामनगर, वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर की उपस्थिति में पैड़ों की गणना की गयी थी, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हरदीपशर्मा श्री उपस्थित के, उक्त गणना के सापेक्ष पुनः शिकायतकर्ता स्वयं श्री स्वामियों के प्रतिनिधियों के सामने श्री पैड़ों की गणना की गयी, गणना निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	फल वृक्ष का नाम	दिनांक 26-9-23 की गणना के अनुसार	दिनांक 10-5-24 को वर्तमान में गणना के अनुसार	10-5-24 को गणना में कम पाये गये पैड़ों की संख्या
1-	आम	505	411 (13 चूरे)	94
2-	लीची	320	263	57
3-	नाशपाती	50	25	25
4-	करेल	2	2	2
5-	जामुन	2	2	2
	कुल योग	879	703	176

- 1- श्री कुल सिंह राजस्व निरीक्षक काशीपुर
- 2- श्री कोमलेश्वर वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर
- 3- कु० प्रगात वन बीट अधिकारी काशीपुर
- 4- अमपाल सिंह वन बीट अधिकारी काशीपुर
- 5- रमेश शर्मा कोल्ली S.M.O. उद्यान विभाग काशीपुर
- 6- नरेश मोहम्मद, S.O. उद्यान विभाग काशीपुर
- 7- अर्जुन कुमार रा. उपा. वि. राजस्व विभाग काशीपुर
- 8- अभय प्रताप सिंह, SDM Kashipur



पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, जनसेवा समिति (राजि.)

भजन सिंह वैद्यार्जुन विलियम
राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुख्य कार्यालय : सी/427, न्यू आवास विकास कालोनी
पो. व तह. - काशीपुर - 244713 (कै.सि.नगर) उत्तराखण्ड

सुरेश देवानन्दक
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
डी-77, आई कारोली कालोनी, पो. व तह. -
शिव-डीडी नगर, उत्तराखण्ड

पत्रांक : PSVJSS/KSP/.....165.....

दिनांक 19/02/2024

सास्टवत पॉल
राष्ट्रीय सचिव
पत्तन कालोनी रोड, पो. व तह. नं 0 241,
का. व तह. मुठकन - 244601, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्रीमान नकुल कुमार गुप्ता
काशीपुर, उधम सिंह नगर

रवि गारावतक
राष्ट्रीय उप सचिव
डी-77, आई कारोली कालोनी
पो. व तह. शिव-डीडी नगर
उत्तराखण्ड

विषय- पेड़ों का स्थानान्तरण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पप्पू लाल
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
कानूनी कालोनी रोड, पो. व तह. -
का. व तह. मुठकन, उत्तर प्रदेश

निवेदन इस प्रकार है कि नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश
कुमार गुप्ता निवासी-ग्राम चाँदपुर, तहसील काशीपुर, जिला-उधम सिंह
नगर ने अपने खेत जिसका खसरा नं० 145,146,147,152,153 है जोकि
ग्राम चाँदपुर तह० काशीपुर में लगे 165 वृक्षों का स्थानान्तरण पर्यावरण
सुरक्षा, वृक्षारोपण, जनसेवा समिति के माध्यम से निशुल्क कराया गया
है। जिसमें आम,लीची न नाशपाति के वृक्ष थे।

कमल किशोर पंत
राष्ट्रीय संगठनमंत्री
कानूनी कालोनी, पो. व तह. -
का. व तह. मुठकन, उत्तराखण्ड

उपरोक्त संस्था द्वारा वृक्षों को स्थानान्तरण सुरक्षापूर्वक हेतू आदर्श
धाम भोगपुर में 25 पेड़, सी०ओ० ऑफिस काशीपुर, में 10 पेड़, शमशारा
रिसोर्ट कंचनपुर छोई रामनगर में 11 पेड़ व सेन्ट मारिया कान्वेन्ट
स्कूल आशीष नगर भवानीपुर मुरादाबाद उ०प्र० में 125 पेड़ वृक्षारोपण
कराये गये। इसमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचा है और वह मौके पर
दोबारा अंकुरित भी हो गये हैं।

मुकेश कुमार
सदस्य
कानूनी कालोनी रोड, मुठकन (राजि.सं.)
का. व तह. मुठकन, उत्तर प्रदेश

गुलाबदास राजपूत
सदस्य
कानूनी कालोनी, उधमपुर रोड, काशीपुर
का. व तह. काशीपुर, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड

सूरजपाल
सदस्य
कानूनी कालोनी रोड, मुठकन (राजि.सं.)
का. व तह. मुठकन, उत्तर प्रदेश

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

कार्यालय उप जिलाधिकारी काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

पत्र संख्या- ५१७/मु0सहा0/2024


दिनांक 17 फरवरी, 2024

विषय- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर द्वारा पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए आम व लीची के पेड़ों को शिफ्टिंग किये जाने बाबत।

जिला उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कृपया उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर द्वारा उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-01-2024 पर तहसीलदार काशीपुर से भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 12-02-2024 से अवगत कराया गया कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00125 के खसरा सं0 147मि0 रकबा 0.182है0 भूमि में राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार का नाम वर्ग 1क संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। उक्त खसरा सं0 147मि0 रकबा 0.182है0 भूमि के मध्य आम के 76पेड़, लीची के 64पेड़, नाशपाती के 12पेड़ खसरे में दर्ज है, जिन पर उपरोक्त खातेदार राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता का स्वामित्व है। उक्त 152 पेड़ों में से आम के 76पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20-20 पेड़ कुल 40पेड़ों को खातेदार नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में लाना चाहते हैं। जिस बाबत उक्त 40पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00355 के खसरा सं0 417मि0 रकबा 0.182है0 भूमि पर शिफ्टिंग कराने का कार्य पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण जल सेवा समिति द्वारा किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मात्र भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गयी है। उपरोक्तानुसार 40पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00355 के खसरा सं0 417मि0 रकबा 0.182है0 भूमि पर शिफ्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से पर्यावरण हित के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।



(अमर प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी,
काशीपुर।

सेवा में,

श्रीमान प्रमाणीय वनाधिकारी महोदय, तहसील, पच्ची, वन ५५०७७,
रामनगर जिला नैनीताल।

विषय— पेड़ों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 00125 के खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि में राजेश गुप्ता पत्नी स्व. महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व. महेश कुमार का नाम वर्ग 1क संकमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। उक्त खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि के मध्य आम के 76 पेड़, लीची के 64 पेड़, नाशपाती के 12 पेड़ खसरे में दर्ज है जिन पर उपरोक्त खातेदार राजेश, गुप्ता पत्नी स्व. महेश कुमार व नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता का स्वामित्व है। उक्त 152 पेड़ों में से आम के 76 पेड़ में से 20 पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20 पेड़ कुल 40 पेड़ों को खातेदार नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रायेजन में लाना चाहते हैं। जिस बावत उक्त 40 पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुये अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 00355 के खसरा नं. 417मि. रक्वा 0.182है० भूमि पर शिफ्टिंग कराना चाहते हैं। उपरोक्त पेड़ों को शिफ्टिंग कराने का कार्य पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण जन सेवा समिति द्वारा किया जायेगा।

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान तहसीलदार कार्यालय काशीपुर एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर के कार्यालय से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या विभिन्न विभागों को प्रेषित की जा चुकी है।


अतः महोदय से प्रार्थना है कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर को खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि के मध्य में आम के 76 पेड़ में से 20 पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20 पेड़ कुल 40 पेड़ों को प्रार्थी पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुये अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर के खसरा नं. 417मि. रक्वा 0.182है० भूमि पर शिफ्टिंग कराना चाहता है, जिसके सम्बन्ध में प्रांथ महोदय को सूचित कर रहा है।

दिनांक 19.02.2024



प्रार्थी,

(नकुल कुमार गुप्ता)
पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम
चांदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधमसिंहनगर।


20-2-2024
तहसील वन वनाधिकारी
रामनगर

सेवा में,

भीमान प्रभागीय बन्नाधिकारी महोदय,

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल।

क्रियः—पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए आम व लीची के पेड़ों की क्षिफिटिंग बाबत।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम वाले ग्राम चांदपुर तहसील कझीपुर जिला—उधमसिंहनगर की वर्ग 1 क संक्रमणीय अधिकार वाली भूमिधरी भूमि के खाता खतौनी सं०—00125 के खसरा नम्बर—147 मि० रक्बा—0.182 हेक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसमें आम व लीची के लगभग 40 पेड़ हैं। इस भूमि को प्रार्थी बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में लाना चाहता है, जिस बाबत उक्त भूमि में स्थित पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन, तहसील कझीपुर जिला—उधमसिंहनगर की वर्ग 1 संक्रमणीय अधिकार वाली भूमिधरी भूमि के खाता खतौनी संख्या—00355 के खसरा नम्बर—417 मि० रक्बा—0.182 हेक्टेयर भूमि पर क्षिफिटिंग करना चाहता है।

अतः महोदयजी से निवेदन है कि ग्राम चांदपुर, तहसील कझीपुर के खसरा नं०—147 से ग्राम उज्जैन, तहसील कझीपुर में के खसरा नम्बर—417 में क्षिफिटिंग करने का सूचनार्थ प्राप्त कर यथा सम्भव सहयोग करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :- 30/12/2023

प्रार्थी *Nakul*

नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार

नि०ग्राम—चांदपुर तहसील कझीपुर

जिला—उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

संलग्नः—ग्राम चांदपुर का खाता संख्या—00125,

ग्राम—उज्जैन का खाता संख्या—00355,

R
30/12/2023
आपका 40
आपका 40

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-G26/V-2/21-5(आ0)/17 टी0री0 दिनांक 17 मार्च, 2021 के अनुसार वर्ष 2016 से पूर्व के विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

उपरोक्त के रूप में जनपद-उधमसिंह नगर में वर्ष 2016 में विद्यमान रहे 04 विनियमित क्षेत्रों की सीमा में अग्रिम आदेशों तक मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी। ये क्षेत्रों में उक्त कार्यवाही स्थगित रहेगी। उक्त विनियमित क्षेत्रों में सम्मिलित गांवों की सूची निम्नानुसार है:-

शासनादेश संख्या-3177V/आ0-2006-179(आ0)/06 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर

- 01-जिला उधमसिंह नगर में नगर पालिका परिषद, रुद्रपुर की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला उधमसिंह नगर की तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र।

01. लगरा	07. विगवाडा	13. दानपुर	19. लालपुर	25. श्रीरामपुर
02. भूडारानी	08. शिमला बहादुरपुर	14. फुलसुगा	20. कोलडा	
03. फाजलपुर महरोला	09. कल्याणपुर	15. फुलसुगी	21. कोलडिया	
04. रम्पुरा	10. छतरपुर	16. ममरोला	22. रायपुर	
05. जगतपुर	11. मटकोटा	17. शिमला पिस्तौर	23. विजयनगर	
06. रुद्रपुर	12. विन्दुखेडा	18. कोटा	24. जयनगर	

शासनादेश संख्या-1938/6-आ-3-61-50 एच/57 दिनांक 09 दिसम्बर 1991

के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र किच्छा

- 01-जिला नैनीताल में, किच्छा नगरपालिका की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला नैनीताल में, तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. बण्डिया	02. किशनपुर	03. सीनेटा	04. सिरौली कला	05. सिरौली खुर्द
-------------	-------------	------------	----------------	------------------


शासनादेश संख्या-3830(6)/9-आ-3-916-आर0 ए0-91 दिनांक 19 जून 1992

के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र कारीपुर

- 01- नगरपालिका कारीपुर, जिला नैनीताल की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-तहसील कारीपुर, जिला नैनीताल के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. कुण्डा	09. कुदइया वाला	17. कुआ खेडा	25. पसियापुर	33. कचनाल गोसाई
02. बेतवाला	10. लालपुर	18. टांडा उज्जैन	26. खडकपुर देवीपुरा	34. खोखराताल
03. कचनोल गाजी	11. हरियावाला	19. दकिया गुलाबो	27. कुण्डेसरा	35. गिन्नी खेडा
04. मानपुर	12. सरवरखेडा	20. रायपुर खुर्द	28. नन्दरामपुर	36. बासखेडा खुर्द
05. रम्पुरा	13. जरापुर खुर्द	21. मगापुर रकवा	29. जैतपुरी घोसी	
06. नौझडा	14. मगापुर गोसाई	22. बसाई	30. साडखेडा	
07. बेलजूटी	15. कुण्डेश्वरी	23. शाहगज	31. हेगपुर इरमाईलपुर	
08. मिस्तारवाला	16. शिवलालपुर रुल्ह	24. बाराखेडा कला	32. दोहरी पररा	



9

राख्तारी गजट, गृह धाररुथा धिगाग, उत्तर प्रदेश दिनांक 00 नवम्बर 1958 के अनुसार—

विनियुगिता क्षेत्र गजपुर
भौना इरुलाग नगर(गडारा फ़ु, गडारा नगर) गजपुर(गडारा आलापुर), गुण्डिया गिरतीर, कला, खगरिया

गड आदेश तत्काल प्रगाग से लागू होगा।

B. Jiwari
(वंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर


कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।

पत्रांक-400/वरि0लि0-वि0क्ष0/2021

दिनांक / 0 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नोक्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निजी सचिव, सचिव आवास धिगाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. आयुक्त, कुगाऊँ गण्डल, नैनीताल/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ0सिंह नगर
03. जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
04. सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
05. रागरत अधिकारी/कर्मचारीगण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
06. गार्ड फाईल।



B. Jiwari
(वंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर



मुख्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

114

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सी0 एण्ड एम-245/2024/1118,

दिनांक 14.11.2024

Ropcb

कार्यालय आदेश

मा0 हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 एवं 25.09.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा करायी गई संयुक्त जांच आख्या के क्रम में मा0 हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 27.08.2024 में अवैध रूप से कटान किये गये वृक्षों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती आरोपित करने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में संयुक्त जांच आख्या में ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर के भूखण्ड खाता सं0-00027, 00125, 00126, 00128 में कम पाये गये संदर्भित 94 वृक्ष आम, 57 वृक्ष लीची, 25 वृक्ष नाशपति कुल वृक्ष 176 पर Expert Committee द्वारा बनाये गये Formula के अनुसार एतद्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती का आकलन ₹6726375/- किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षतिपूर्ती की आकलित राशि ₹6726375/- को दोषियों पर आरोपित किया जाये।

जिलाधिकारी
ऊधमसिंह नगर

(डा0 पराग मधुकर घकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि विषगत प्रकरण में जिन भूखण्डों में वृक्षों की संख्या कम पायी गयी है, उन भूखण्ड स्वामीयों का विवरण तथा सम्बन्धित भूस्वामीयों के भूखण्ड में विभिन्न प्रजातियों के कितने-कितने वृक्ष कम पाये गये हैं। (उक्त 176 वृक्षों में से) का विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त आकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती की धनरराशि ₹6726375/- को विभक्त करते हुए दोषियों पर आरोपित किया जा सके।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर से समन्वय कर आख्या अतिशीघ्र प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

दिनांक/व्य.	28/11/24
अनुभाग ()/विभाग	RO, U.P.C.B
पत्रावली संख्या	1256
पत्रिका संख्या	118
क्रम संख्या	488

4

DBB
पत्रावली नंबर
3/2/24

118
Re: Revised letter regarding Site Inspection in O.A. No. 1038/2024 in the matter of Hardeep Sharma vs. State of Uttarakhand & Ors.reg

115

Me <moef.ddn@gov.in>

Thu, 16 Jan 2025 11:49:27 AM +0530 *

To "dm-usn-ua" <dm-usn-ua@nic.in>, "dfotw-forest-uk" <dfotw-forest-uk@nic.in>, "rokueppcb2018" <rokueppcb2018@gmail.com>

Respected Sir,

As directed, please find enclosed, a copy of this office letter dated 16.01.2025 on the above-mentioned subject for your kind information & further necessary action.

Thanks & regards;

O/o;
The DDGF (C),
MoEF&CC, Regional Office,
25, Subhash Road, Dehradun- 248001

----- On Wed, 08 Jan 2025 16:05:15 +0530 **MoEFCC Dehradun** <moef.ddn@gov.in> wrote ---




☺ **2 Attachment(s)** * Download as Zip * Add To >



Letter for Site Visit.pdf
2 MB *



Revised letter site visit.pdf
1.9 MB *



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/
Regional Office, Dehradun



25, सुभाष रोड, देहरादून-248001/25, SUBHASH ROAD, DEHRADUN-
248001, दूरभाष / PHONE - 0135-2650809, ईमेल/E-mail-
moef.ddn@gov.in

पत्र सं 0- NGT/17/2024/1150

Dated: 16/01/2025

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
ऊधम सिंह नगर, जिलाधिकारी परिसर,
रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड- 263153 (E-mail: dm-usn-ua@nic.in)
2. प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर,
जनपद- नैनीताल, उत्तराखंड।
3. श्री नरेश गोस्वामी,
क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर (मो0 9412130888, ई-मेल- rokupepcb@gmail.com)

विषय:- माननीय एन 0 जी0 टी0, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 1038/2024, हरदीप शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक संख्या NGT/17/2024/1119, दिनांक 08.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रकरण में स्थल-निरीक्षण हेतु तिथि 17.01.2025 समय दोपहर 2:00 बजे निर्धारित किया गया है।

किन्तु अपरिहार्य कारणवश समय में थोड़ा सा संशोधन किया जा रहा है। अतः मुझे आपको यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में दिनांक 17.01.2025 को समय दोपहर 01:00 बजे से स्थल-निरीक्षण किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि स्थल-निरीक्षण के दौरान सुसंगत दस्तावेजों के साथ ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि स्थल-निरीक्षण के आधार पर तथ्यात्मक आख्या मा0 एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली को दाखिल की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

o/c

Signed by Neelima Shah

Date: 16-01-2025 10:53:53

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा0 व 0 से0)
सहायक वन महानिरीक्षक (के0)

